सुशासन

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
का प्रभाव आँकलन

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल
(मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्था)
सी–324, तृतीय मंजिल, नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन नं – 0755–2550368, 2570218
ई मेल : sushasank@gmail.com, वेबसाइट : www.sushasanmp.in

अध्ययन कार्यदल

परियोजना संचालक

डॉ. एस.एम. हैदर रिज़वी, संचालक (नीति विश्लेषण)

परियोजना समन्वयक

श्री सौरभ बन्सल, कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रबंधन)

प्रस्तावना

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के विभिन्न उद्देश्यों में से एक शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का ऑकलन करना है। इस उद्देश्य के परिपालन में चुने हुए राष्ट्रीय संस्थानों के इन्टर्न (Intern), अनुभवी विशेषज्ञों, तथा स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा संबंधित शासकीय अधिकारियों के सहयोग से योजनाओं, उनके क्रियान्वयन तथा परिणाम संबंधी अध्ययन समय–समय पर किये जाते रहे हैं। ऐसे अध्ययन, हितग्राहियों के मत, उनकी अपेक्षाओं और क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों एवं अन्य से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण पर आधारित होते है।

इसी कड़ी में **''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रभाव ऑंकलन''** अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था। राज्य में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी वर्ष 1999–2000 से क्रियान्वित की जा रही है। इस अध्ययन हेतु डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विश्लेषण) एवं श्री सौरभ बंसल, कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रबंधन) के सफल प्रयासो की हम सराहना करते है।

हमे आशा है कि प्रस्तुत अध्ययन से योजना विशेष की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों तथा विभिन्न हितग्राहियों की अपेक्षाओं से अवगत होकर बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा।

(एच.पी. दीक्षित)
महानिदेशक
सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल,
भोपाल

दिनॉकः 14.10.2011

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**प्रस्तावना**	i
2	**विषय सूची**	ii–iv
3	**अध्ययन सारांश**	v–x
4	**अध्याय एक – अध्ययन की पृष्ठभूमि**	**1–15**
	1.1 भारत का कृषि परिदृश्य	
	1.2 मध्यप्रदेश का कृषि परिदृश्य	
	1.3 कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव एवं कृषि बीमा	
	1.4 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना–एक परिचय	
	1.4.1 योजना की पृष्ठभूमि	
	1.4.2 योजना के उद्देश्य	
	1.4.3 बीमा हेतु पात्र कृषक	
	1.4.4 योजना की इकाई	
	1.4.5 अधिसूचित/बीमित फसलें	
	1.4.6 बीमित राशि, प्रीमियम दरें तथा अनुदान	
	1.4.7 क्षतिपूर्ति की गणना, दावों का निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रियां	
	1.5 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	
	1.6 मूल्यांकन की आवश्यकता	
5	**अध्याय दो – अध्ययन की कार्यविधि**	**16–21**
	2.1 अध्ययन के उद्देश्य	
	2.2 अनुसंधान रूपरेखा	
	2.3 प्रश्नावली निर्माण	
	2.4 सर्वेक्षणकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम	
	2.5 अध्ययन हेतु जिलों, तहसीलों एवं पटवारी हल्कों का चयन	
	2.6 संख्यात्मक एवं गुणात्मक आँकड़ों का संग्रहण	
	2.7 चर	
	2.7.1 मापक चर	
	2.7.2 स्वतंत्र चर	
	2.8 आँकड़ों का परीक्षण एवं कम्प्यूटरीकरण	
	2.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	

6	**अध्याय तीन – आँकड़ों का विश्लेषण**	**22–46**
	भाग–एकः ऋणी/गैर ऋणी बीमित कृषक	**22–34**
3.1.1	लिंगानुपात	
3.1.2	जातीय वर्गीकरण	
3.1.3	आर्थिक वर्गीकरण	
3.1.4	साक्षरता स्तर	
3.1.5	आय के साधन	
3.1.6	कृषक श्रेणी	
3.1.7	बीमा प्रदाता वित्तीय संस्था	
3.1.8	बीमित परिवार की वार्षिक आय	
3.1.9	ऋण स्थिति	
3.1.10	विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान की स्थिति	
3.1.11	उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग की स्थिति	
3.1.12	उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग	
3.1.13	योजना जानकारी का स्रोत	
3.1.14	योजना के प्रेरणा स्रोत	
3.1.15	योजना जुड़ाव हेतु जानकारी एवं मदद	
3.1.16	योजना प्रक्रियाओं की जानकारी	
3.1.17	योजना क्रियान्वयन में कठिनाईयॉ	
3.1.18	योजना क्रियान्वयन से संतुष्टि	
3.1.19	योजना से असंतुष्टि के कारण	
3.1.20	योजना क्रियान्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से संतुष्टि	
3.1.21	योजना सुधार हेतु सुझाव	
3.1.22	शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार का माध्यम	
	भाग–दोः गैर बीमित कृषक	**35–43**
3.2.1	लिंगानुपात	
3.2.2	जातीय वर्गीकरण	
3.2.3	आर्थिक वर्गीकरण	
3.2.4	साक्षरता स्तर	
3.2.5	आय के साधन	
3.2.6	कृषक श्रेणी	
3.2.7	परिवार की वार्षिक आय	
3.2.8	पिछले तीन वर्षो में फसल नुकसान की स्थिति	
3.2.9	राहत सहायता हेतु ऐजेंसी	
3.2.10	योजना की जानकारी की स्थिति	

	3.2.11	योजना जानकारी का स्रोत	
	3.2.12	कृषि बीमा नहीं लेने के कारण	
	3.2.13	योजना सुधार हेतु सुझाव	
	3.2.14	फसल बीमा स्थिति	
	3.2.15	योजनाओं की जानकारी हेतु उचित माध्यम	
		भाग–तीनः योजनांतर्गत बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं	**44–46**
	3.3.1	बीमा योजना से वित्तीय संस्थाओं का जुड़ाव	
	3.3.2	योजनांतर्गत बीमाधारी	
	3.3.3	कृषि बीमा प्रदाय में कठिनाई	
	3.3.4	योजना के प्रचार–प्रसार के उपाय	
	3.3.5	योजना सुधार हेतु सुझाव	
7		**अध्याय चार – निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं**	**47–56**
	4.1	उत्तरदाताओं की परिस्थितियां	
		4.1.1 सामाजिक परिदृश्य	
		4.1.2 आर्थिक परिदृश्य	
	4.2	योजना के प्रति जागरूकता का स्तर	
	4.3	योजना क्रियान्वयन की स्थिति	
		4.3.1 कृषकों द्वारा लिए गए ऋण की स्थिति	
		4.3.2 योजना से वित्तीय संस्थाओं का जुड़ाव	
		4.3.3 उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग	
	4.4	योजना क्रियान्वयन में कठिनाईयॉ	
	4.5	योजना सुधार हेतु सुझाव	
	4.6	योजना के प्रसार–प्रचार के माध्यम	
		परिशिष्ट	**57–76**
		परिशिष्ट–I: अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाएं	**57–65**
		भाग–एकः ऋणी/गैर ऋणी बीमित कृषक	
		भाग–दोः गैर बीमित कृषक	
		भाग–तीनः योजनांतर्गत बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं	
		परिशिष्ट–II: प्रश्नावलियाँ	**66–76**
		भाग–एकः ऋणी/गैर ऋणी बीमित कृषक	
		भाग–दोः गैर बीमित कृषक	
		भाग–तीनः योजनांतर्गत बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं	

अध्ययन सारांश

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा सौंपी गई ''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रभाव आंकलन'' का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत में कृषि आय और उत्पादन अक्सर सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। कृषि की संवेदनशीलता इन आपदाओं के प्रकोप के कारण महामारी जैसे आग, नकली बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री और मानव निर्मित आपदाओं से बढ़ रही है। कृषि बीमा प्रभावी रूप से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में आय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में **"राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना"** रबी वर्ष 1999–2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत बैंको के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को बीमा राशि दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में रबी 1999–2000 से खरीफ 2009 तक 39,85,303 बीमित कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10% प्रीमियम अनुदान दिया जाता है। इस योजना में ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों प्रकार के कृषकों के सम्मिलित होने का प्रावधान है, किन्तु जो कृषक बीमा हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋण लेंगे उनके लिये अनिवार्य है। गैर ऋणी कृषकों के लिये योजना स्वैच्छिक है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

- प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज देना।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहन देना।
- विशेष कर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखना।
- खाद्य फसलों एवं तिलहनों के उत्पादन को समर्थन एवं उसे बढ़ावा देना।

बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिए वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से कर रहे है। अधिसूचित फसलों के लिए स्वीकृत ऋण सीमा के अनुसार वितरित राशि ही बीमित राशि होती है। गैर ऋणी कृषकों को अपने निकटस्थ बैंक शाखा में जाकर स्वयं बीमा कराना होता है। प्रत्येक मौसम खरीफ एवं रबी हेतु तथा तहसील (कम से कम 500 हेक्टेयर में बुआई) एवं पटवारी हल्का (कम से कम 100 हेक्टेयर में बुआई) स्तर पर फसलों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

<table>
<tr><th>मौसम</th><th>स्तर</th><th>अधिसूचित फसलें</th></tr>
<tr><td rowspan="2">खरीफ
वर्ष 2010</td><td>पटवारी हल्का</td><td>धान (सिंचित, असिंचित), सोयाबीन, तुअर (अरहर), बाजरा, मक्का</td></tr>
<tr><td>तहसील</td><td>ज्वार, कोदो कुटकी, तिल, मूंगफली, कपास एवं केला</td></tr>
<tr><td rowspan="2">रबी
वर्ष 2009–10</td><td>पटवारी हल्का</td><td>गेहूं (सिंचित, असिंचित) चना, राई सरसों</td></tr>
<tr><td>तहसील</td><td>अलसी, आलू एवं प्याज</td></tr>
</table>

अनुदान राशि में भारत सरकार एवं राज्य शासन की बराबर–बराबर की भागीदारी है। क्षतिपूर्ति की गणना थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज कम आने पर बीमा कम्पनी द्वारा की जाती है। इकाई पर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर थ्रेशोल्ड उपज की गणना के आधार पर दावों का निर्धारण किया जाता है।

अध्ययन में योजना की उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में निर्धारित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, योजना से जुड़े सभी पक्षों, जैसे कि लाभार्थी, विभाग के कर्मचारी, सेवा प्रदाता बैंक आदि के विचारों को शामिल किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से, सतत् आधार पर प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज तथा विशेष कर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखने की दिशा में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रभाव का आंकलन करना है। इस अध्ययन के अंतर्गत गुणात्मक एवं संख्यात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। चिन्हित पटवारी हल्का के हितग्राही कृषकों, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, अधीक्षक भू–अभिलेख, जिला किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी, क्रियान्वित एजेंसी तथा बैंकों के अधिकारी आदि लोगों से प्रश्नावली, लक्षित समूह चर्चा (FGD), संरचित साक्षात्कार (Structured Interview) और द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्रित की गई।

योजना के अध्ययन के अंतर्गत संख्यात्मक प्रश्नावली के माध्यम से डाटा संग्रहण के लिए 2 जिलों में 2–2 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया गया। योजना प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य रूप से लागू है अतः अध्ययन में लाभार्थियों की विभिन्नता को पाने हेतु प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र (Agro Climatic Zones) वर्गीकरण को आधार बनाया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु प्रदेश के दो अलग–अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित 2 जिलों का चयन निम्नानुसार किया गया –

1. प्रथम जिला जिसमें योजना के क्रियान्वयन का कम विस्तार (Low Coverage) एवं कम दावे (Less Claims) हो तथा खरीफ एवं रबी मौसम की फसलों में विविधता हो।
2. द्वितीय जिला जिसमें उचित विस्तार (Proper Coverage) एवं अधिक दावे (High Claims) हो तथा खरीफ एवं रबी मौसम की फसलों में विविधता हो।

प्रत्येक ज़िले से 2–2 तहसीलों तथा प्रत्येक तहसील से 4–4 पटवारी हल्कों, इस तरह कुल 16 पटवारी हल्कों में अध्ययन किया गया। संख्यात्मक आँकड़ों का संग्रहण अध्ययन के लिए विशेष प्रकार से तैयार की गई तीन प्रश्नावलीयों के माध्यम से किया गया। आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक आँकड़ों का विश्लेषण एम.एस. एक्सल साफ्टवेयर की मद्द से किया गया। गुणात्मक सूचनाओं की उत्पत्ति के लिए लक्षित समूह चर्चा से उत्पन्न हुई जानकारी का विश्लेषण किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों, द्वितीयक आंकड़ों तथा साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी, प्रश्नावली भरने के दौरान हुए अनुभवों के विश्लेषण से निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर अनुशंसाएं दी गई है, जिससे योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी हो सके। अध्ययन से प्राप्त परिणाामों से निम्नलिखित **निष्कर्षो** तक पहुंचा जा सकता है।

बीमित कृषकों में पुरूषों की संख्या (96 प्रतिशत) महिलाओं की अपेक्षा बहुत अधिक पाई गई तथा बीमित कृषकों में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के कृषकों की संख्या तुलनात्मक रूप में अन्य वर्गो से अधिक है। बीमित कृषकों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की संख्या अपेक्षाकृत अत्यंत कम है। लाभान्वित बीमित कृषकों में अधिकतर साक्षर एवं ए.पी.एल. श्रेणी के पाए गए। बीमित कृषकों को योजना की जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे वित्तीय संस्थाओं, कृषि विभाग/ग्राम सेवक, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, स्वयं सेवी संगठन, सचिव/पटवारी एवं अपने ग्रामीण साथी द्वारा प्राप्त हुई तथा मुख्यतः वित्तीय संस्थाओं ने प्रेरित किया साथ ही साथ कृषि विभाग/ग्राम सेवक, ग्राम

सभा/ग्राम पंचायत, स्वयं सेवी संगठन, सचिव/पटवारी एवं ग्रामीण साथियों की भूमिका भी पाई गई।

अधिकतर बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लिया तथा उन्हें विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान भी हुआ है। होशंगाबाद जिले में बीमाधारी कृषकों की संख्या भोपाल जिले की तुलना में अधिक है एवं दोनो जिले में विगत तीन वर्षो में बीमाधारी कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाओं में राष्ट्रीकृत बैंक (52 प्रतिशत) एवं सहकारी बैंक (42 प्रतिशत) की भागीदारी अच्छी है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं उसकी शाखाओं की पहुंच बहुत कम (7 प्रतिशत) है। गैर बीमित कृषक फसल हानि के मामले में राहत सहायता के लिए साहूकार से उधार लेते है।

अधिकतर बीमित कृषकों द्वारा कृषि बीमा कराने के उपरांत कृषि के प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। लाभार्थियों ने योजना के क्रियान्वयन में ऋण लेने की प्रक्रियां में जटिलता, आवेदन पत्र की शर्तो के अनुसार सूचनाओं एवं दस्तावेजों का एकत्रिकरण, आवेदन पत्र को भरने में कठिनाईयां एवं बैंक कर्मचारी द्वारा प्रस्तावों को तब्ज्जों नही देने जैसी समस्या बताई।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि बीमा प्रदाय करने में कोई कठिनाई न होना दर्शाया गया फिर भी बीमा प्रदाय कठिनाई में वित्तीय संस्थाओं को बीमा राशि प्राप्त न होना तथा कृषकों को बीमा जानकारी न होना एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन न होना को प्रमुख कारणों में बताया गया। योजना में सुधार के लिए कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना, बीमा दावों के त्वरित निपटान, योजना स्वैच्छिक बनाना एवं अधिक फसलों को अधिसूचित करना इत्यादि बताया गया। योजनाओं के प्रचार–प्रसार के माध्यम अंतर्गत कृषकों द्वारा जनसंचार माध्यमों जैसें पोस्टर, बैनर, समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविजन आदि, किसान मेलों/हाट बाजारों/मंडियों में बीमा कैम्प आयोजित कर एवं ग्राम संभाओं/किसान सभाओं इत्यादि को दर्शाया गया है।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुरूप निम्नलिखित **अनुशंसाएं** प्रस्तावित की गई है।

महिला कृषकों में तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में योजना की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में योजना की परिधि में अधिकतर बड़े एवं सामान्यः कृषक हैं। अतः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों तक योजना

की पहुंच को बढ़ाने तथा लघु/सीमांत कृषकों को योजना का लाभ दिलाने हेतु क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक कार्य योजना बनाई जाने की आवश्यकता है। योजना की जानकारी के प्रसार हेतु विभिन्न घटकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों में तीव्रता लाई जाने तथा गैर बीमित कृषकों को भी योजना की परिधि मे लाया जाना चाहिए।

विभाग एवं योजना की कियान्वयन एजेन्सी द्वारा कृषकों के साथ निरंतर कार्य किया जाना चाहिए जिससे उनकी कृषि संबंधी समझ एवं क्षमताओं को विकसित किया जा सके। विभाग द्वारा कृषकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य एक स्पष्ट कार्यात्मक संबंध स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस बात की भी आवश्यकता है कि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरो पर व्याप्त सीमाओं एवं कठिनाईयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाये तथा इसे सुचारू रखने हेतु त्वरित प्रयास किये जाए।

वर्तमान में प्रदेश में योजना क्रियान्वयन में एक ही ऐजेंसी नामांकित है। बीमा व्यवसाय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है वे कम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि एवं अन्य सुविधाएं देने की बात कहती है। अतः निजी बीमा कंपनियों को भी फसल बीमा योजना क्रियान्वयन ऐजेंसी के रूप में नामांकित करने की आवश्यकता है। बीमित कृषकों के द्वारा उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है कि इन पहलूओ पर योजना प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर अधिक से अधिक कृषकों को आकर्षित किया जाये ताकि उनके कृषि व्यवहार मे अपेक्षित बदलाव लाया जा सके तथा उन्हे प्राकृतिक आपदाओं के समय फसल नुकसान से बचाव हेतु क्षमता वृद्धि की जा सके। कृषकों के स्तर पर अधिकतर कठिनाईयां योजना के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है जिन्हें सहज एवं सरल बनाने की आवश्यकता है।

वित्तीय संस्थाओं को योजना के महत्व एवं स्थानीय स्तर पर व्याप्त कृषकों की वास्तविकताओं को अवगत कराने की आवश्यकता है, इस हेतु विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर कृषकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य अंतराफलक (इन्टरफेस) बैठके कराने की आवश्यकता है तथा वित्तीय संस्थाओं की योजना के प्रति रूचि को बनाये रखने हेतु विभाग को विभिन्न प्रेरणात्मक करणो को ढूंढ कर उन पर अपेक्षित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस बात का गहराई से ऑकलन करने की आवश्यकता है कि कृषकों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता एवं महत्व स्थापित क्यो नहीं हो पा रहा है। जबकि फसल बीमा के द्वारा कृषक अधिक सुरक्षित हो सकते है।

बीमा क्षतिपूर्ति हेतु 60 प्रतिशत के स्तर को लेकर कृषक बहुत सहज नहीं है। अतः विभाग को वर्तमान क्षतिपूर्ति के प्रावधान को कृषकों की मॉगों के सापेक्ष ऑकलन कर उचित स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने हेतु तहसील/पटवारी हल्के को इकाई के रूप में लिया जाता है जो स्थानीय विविधताओं को देखते हुए बहुत प्रभावी नहीं माना जा सकता अतः इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र ऑकलन हेतु मानी गई इकाई को और छोटे स्तर उदाहरणतः ग्राम स्तर अथवा व्यक्तिगत स्तर तक लाए जाने की सम्भावनाएं तलाश की जायें।

पाले एवं अफलन (फसल में फली का न बनना) से फसलों को हुए नुकसान को भी प्रकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने एवं कृषकों को आकस्मिक विपदाओं से बचाने हेतु किसान कोष की स्थापना किए जाने की भी आवश्यकता है। विभाग को योजना को व्यापक बनाने के लिए स्थानीय परिवेशों में उपलब्ध जन संचार माध्यमों का प्रयोग करना उचित प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों को योजना से जोड़कर योजना को स्थानीय मान्यता दी जा सकती है। अतः विभाग द्वारा इन चयनित प्रतिनिधियों को योजना के क्रियान्वयन में सद्भावना राजदूत के रूप में जोडने पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय – 1

अध्ययन की पृष्ठभूमि

1.1 भारत का कृषि परिदृश्य

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने लगातार कृषि विकास को प्राथमिकता दी है। कृषि क्षेत्र पर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र पर 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगो की आजीविका जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतवर्ष के कृषि क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। पचास के दशक से लेकर इस सदी के अंत तक, वार्षिक उत्पादन में 51 लाख टन से 206 लाख टन की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का देश में अनाज की आत्मनिर्भरता की दिशा एवं भोजन की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान है। हाँलाकि सभी क्षेत्रों में वृद्धि समान रूप में नहीं देखी गई जिसके फलस्वरूप विभिन्न वर्गो के कृषि समुदाय के बीच असमानता बढ़ी है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों में भी समय के साथ अत्यधिक गिरावट उभर कर सामने आई। पूँजी अपर्याप्तता, संरचनात्मक सहायता की कमी, माँग पक्ष की कमी जैसे कि भंडारण एवं कृषि उत्पादों की बिक्री आदि ने, कृषि क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को समय–समय पर प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप नब्बे के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र के विकास में कमी आई है।

परती भूमि को खेती योग्य एवं मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने की दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने, भूमि जल संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से, विगत वर्षो में काफी प्रयास किए है। क्षेत्रीय नर्सरी के नेटवर्क, टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं, बीज फार्म के माध्यम से संकर बीज एवं रोग मुक्त उन्नत किस्मों की रोपण सामग्री की उपलब्धता के साथ बागवानी के व्यवस्थित विकास किये गये हैं। इन प्रयासों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने, कटाई उपरांत प्रबंधन, सटीक कृषि, कीटनाशक प्रबंधन आदि की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ कृषकों को प्राप्त हो सके।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं एवं कृषि नीतियों में कृषि क्षेत्र में किए जा रहें अनुसंधानों के माध्यम से खेती में उन्नति के लिए, कृषि अनुसंधानों को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीयकरण करने पर बल दिया गया है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, रिमोट सैनसिग (सुदूर संवेदन) प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी आदि के

माध्यम से कृषि विकास की दिशा में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी का मुख्य उद्देश्य कुशल, परिणाम उन्मुख कृषि अनुसंधान शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। जिससे कि भारतीय कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन संभव हो सके। कृषि विज्ञान केन्द्र, गैर सरकारी संगठनों, कृषक समूहों, सहकारी समितियों, निगमित क्षेत्रों, की मदद से कृषि विस्तार को सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये गये है। विगत वर्षो में कृषि के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि के पश्चात भी कृषि का विकास निर्धारित गति से नहीं हो पाया है। इसकी मुख्य वजहों में कृषि संसाधनों जैसे कि पानी, भूमि इत्यादि का अत्याधिक दोहन हैं। दीर्घकालीन समय में संसाधनों की कमी के कारण कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों का लाभ, समय के साथ कम होता चला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में लोगों ने अन्य व्यवसायों को अपनाना शुरू कर दिया है। बुनियादी संरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक एंव निजी निवेश की प्राथमिकता न होने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास तेजी से नही हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप कृषि से जुड़े वर्ग मुख्यतः सीमांत एंव छोटे कृषकों में कृषि के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है।

शासन के सभी प्रयास कृषि को अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सशक्त रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम है, जिससे कि पुनः कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इस तरह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में कृषकों को कृषि संबंधित नवीन जानकारी उपलब्ध कराई जायें, जिससे कि कृषि उपज में बढ़ोतरी हो सके। प्रायः प्रतिकूल मूल्य व्यवस्था एवं कृषि उपज के मूल्य संवर्धन की उचित व्यवस्था न होने के कारण कृषि व्यवस्था में कृषकों की अरूचि बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप गॉवों से पलायन प्रचुर मात्रा में हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में आत्मनिर्भरता के साथ ही साथ, घरेलू खाद्य सुरक्षा की जरूरत है जिसमें कि अनाज एवं धन के वितरण में समानता लाई जा सके।

1.2 मध्यप्रदेश का कृषि परिदृश्य

मध्यप्रदेश राज्य देश के मध्य में स्थित है, जिसकी सीमाएँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी है। जलवायु मूलतः उष्णकटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। राज्य में वर्षा क्षेत्रवार अलग–अलग है। राज्य को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यतः उत्तर–पश्चिम भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। राज्य

की जनसंख्या का 71.48 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। कृषकों में 52 प्रतिशत सीमांत कृषक है। यद्यपि जल की अपेक्षाकृत कमी वाले कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्य मूलतः जल संसाधनों से सम्पन्न है, फिर भी जल की सामान्य तौर पर उपलब्धता को लेकर समस्या बनी रहती है, क्योंकि राज्य की नदियाँ वर्षा पोषित है। प्रदेश की नदियाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम में, सोन नदी पूर्व में, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर मध्य में एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सिंचाई जल की उपलब्धता को लेकर किसानों को सदैव समस्याओं से जूझना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों में लगभग 80 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है।

मध्यप्रदेश में कुल कृषि जोत खातों की संख्या 73.60 लाख है। जिसमें सीमान्त कृषक 38.56 प्रतिशत (0.48 हेक्टेयर) 8.53 प्रतिशत भूक्षेत्र तथा छोटे कृषक 26.51 प्रतिशत (1.44 हेक्टेयर) 17.27 प्रतिशत भूक्षेत्र पर काबिज है। अतः करीब 65 प्रतिशत सीमांत और छोटे किसानों की 25.8 प्रतिशत भूक्षेत्र में हिस्सेदारी है।

क्र	कृषक वर्ग	किसानों की संख्या (लाख में) तथा क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	विवरण प्रतिशत में	औसत जोत आकार (हेक्टेयर में)
1	सीमान्त कृषक	संख्या	28.38 (38.56)	0.48
		क्षेत्रफल	13.97 (8.53)	
2	छोटे कृषक	संख्या	19.51 (26.51)	1.44
		क्षेत्रफल	28.29 (17.27)	
3	अन्य मझौले एवं बड़े कृषक	संख्या	25.71 (34.93)	5.01
		क्षेत्रफल	121.46 (74.20)	
4	**कुल योग**	**संख्या**	**73.60 (100.0)**	**2.50**
		क्षेत्रफल	**163.72 (100.0)**	

तालिका 1.1 मध्यप्रदेश में विभिन्न कृषक वर्गो में जोत की संख्या एवं आकार का विवरण

प्रदेश की लगभग 74.73% जनसंख्या ग्रामीण है तथा कृषि पर मूल रुप से जीवनयापन करती है। कुल उपलब्ध भूमि से लगभग 49.03% का उपयोग कृषि के लिये किया जा रहा है, जिसमें से 38% पर अनाज समूह की फसलें, 22% पर दलहन, 31% पर तिलहन एवं शेष पर नगद समूह की फसलें, फल, सब्जी, चारा, औषधियॉ आदि समुह की फसलें उगाई जाती हैं। कुल कृषि उपयोग की भूमि में से 63% भूमि पर खरीफ मौसम में तथा शेष 37% पर रबी मौसम में बुआई की जाती है। बहुफसली क्षेत्र, कुल कृषि के लिये उपलब्ध भूमि का 31% है। राष्ट्रीय उत्पादन (2007–08) के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश का योगदान तिलहन के उत्पादन में 21.34%

(सोयाबीन 49.95%) एवं दलहन के उत्पादन में 16.60% (चना 30.26%) है। मध्यप्रदेश तिलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर तथा दलहन के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में लहसुन का उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 39% होता है। जिस आधार पर प्रदेश लहसून उत्पादन में भी अग्रणी है तथा धनिया के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के मालवा अंचल में उत्पादित आलू, चिप्स उद्योग की पहली पंसद है। मटर के राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 9.50% उत्पादन प्रदेश में होता है।

मध्यप्रदेश ने दलहन उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी है। प्रदेश में इन फसलों के दायरे में 52 लाख हेक्टर रकबा शामिल है। यह अन्य राज्यों के बनिस्बत सबसे ज्यादा है। मध्यप्रदेश में दलहनी फसलों के कुल रकबे में 20 प्रतिशत क्षेत्र खरीफ और 80 प्रतिशत क्षेत्र रबी में शामिल है। प्रदेश में दलहनी फसलों की औसत उत्पादकता 875 किलोग्राम है। प्रदेश में उत्पादकता की नवीन उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में रबी की चना, मटर, मसूर तथा खरीफ की अरहर, उड़द एवं मूँग की प्रमुख फसलें है। दलदली फसलों में चना का सर्वाधिक क्षेत्र 30.86 लाख हेक्टर तथा सर्वाधिक उत्पादन 33.04 लाख टन है। प्रदेश चना उत्पादन में देश में प्रथम है, भारत के कुल चना उत्पादन का प्रदेश में 46.11 प्रतिशत होता है। मध्यप्रदेश ने देश के अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश व राजसथान को चना उत्पादन में पीछे छोड़ा है। सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिलों में होशंगाबाद, हरदा, देवास, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, उज्जैन, विदिशा, जबलपुर, रायसेन और शाजापुर प्रमुख है।

प्रदेश की प्रमुख कृषि एवं उद्यानिकी उपज निम्नानुसार हैः

1. अनाज : गेहूं, ज्वार, मक्का, घान
2. तिलहन : सोयाबीन, सरसों, अलसी
3. दलहन : चना, मसुर, तुअर
4. सब्जीयॉ : मटर, फूल गोभी, भिन्डी, टमाटर, आलू, प्याज
5. फल : आम, अमरूद, संतरा, पपीता, केला
6. मसालें : मिर्ची, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी

1.3 कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव एवं कृषि बीमा

भारत में कृषि आय और उत्पादन अक्सर सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। कृषि की संवेदनशीलता इन आपदाओं के प्रकोप

के कारण महामारी जैसे आग, नकली बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री और मानव निर्मित आपदाओं से बढ़ रही है। यह सभी घटनाएं किसानों के कृषि उत्पादन और आय में नुकसान को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और ये घटनाएं किसानों के नियंत्रण से परे हैं। कृषि के बढ़ते व्यावसायीकरण के साथ इन घटनाओं जैसे हालातों की वजह से नुकसान की भयावहता बढ़ती जा रही है। यह सोचनीय है कि किस प्रकार इस तरह के नुकसान से किसानों की रक्षा की जाए। कृषक समुदाय के एक वर्ग के लिए कुछ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) आय स्थिरता का एक उपाय हो सकता है। लेकिन अधिकांश राज्यों में फसलों के लिए एम.एस.पी. को लागू नहीं किया है। हाल के दिनों में अनुबंध खेती और व्यापार भविष्य को स्थापित किया गया है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कीमत के उतार–चढ़ाव के खिलाफ कुछ बीमा प्रदान करता हैं।

कृषि बीमा प्रभावी रूप से विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं में आय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। कृषि बीमा वित्तीय अनिश्चितताओं, नियंत्रण से बाहर सभी अप्रत्याशित खतरों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के खिलाफ कृषक की रक्षा का एक साधन है। दुर्भाग्य से देश में कृषि बीमा में ज्यादा प्रगति नहीं की है भले ही कृषि परिर्वनशीलता से भारतीय किसानों की रक्षा की जरूरत कृषि नीति की एक सतत् चिंता का विषय है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद किसानों की हालत के लिए प्राकृतिक आपदाओं और कीमत उतार चढ़ाव की वजह से अस्थिर बनी हुई है। कुछ मामलों में इन प्रतिकूल घटनाओं के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या, जो अब गंभीर अनुपात है, के लिए प्रमुख कारकों में से एक हो गया है।

कृषि बीमा के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण कम बाजार कीमतों हेतु नुकसान की विनाशकारी प्रभाव के खिलाफ निवेश और आय को स्थिर कर सकते हैं। फसल बीमा न केवल कृषि आय स्थिर रखने में सहयोगी है यद्यपि यह किसानों को विपरीत परिस्थितियों में कृषि उत्पादन एवं अन्य कृषि गतिविधियों को संचालित रखने में मदद करता है।

किसानों को कृषि बीमा विपरीत समय पर फसल के नुकसान से सुरक्षा की एक न्यूनतम राशि के साथ फसल नुकसान के सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है और किसानों को कृषि में अधिक निवेश करने में मदद करता है। कृषि बीमा समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति का हिस्सा होने की जरूरत है और जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया के अंत में आता है।

क्र. सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसान (हजार में)	बीमित क्षेत्र (हजार हेक्टे. में)	बीमाकृत राशि	सकल प्रीमियम	प्रीमियम सब्सिडी	दावे	लाभान्वित किसान (हजार में)
				(सभी राशियाँ करोड़ में)				
1	आंध्र प्रदेश	22272	34721	36715	1060	107	3332	5192
2	असम	192	149	260	7	0.768	9	35
3	अंडमान नि. द्वीप	1	2	2	0.040	0.011	0.006	0.059
4	बिहार	4792	5906	8948	221	21	1703	1810
5	छत्तीसगढ़	6667	13761	5417	139	8	367	1597
6	गोवा	7	12	2	0.042	0.011	0.024	1
7	गुजरात	10147	23806	21557	874	48	3846	3670
8	हरियाणा	586	684	662	20	0.603	34	118
9	हिमाचल	214	157	172	4	1	17	98
10	जम्मू कश्मीर	27	38	26	0.504	0.035	0.544	2
11	झारखंड	5078	2744	2218	56	3	416	1865
12	कर्नाटक	10279	17109	11863	373	21	1590	4361
13	केरल	351	301	510	11	2	22	66
14	मध्य प्रदेश	18869	48665	21779	637	23	1021	3716
15	महाराष्ट्र	25741	23361	14989	579	76	1859	8584
16	मणिपुर	11	11	30	0.747	0.066	2	11
17	मेघालय	23	26	34	2	0.288	0.418	2
18	मिजोरम	0.121	0.134	0.232	0.006	0.001	0.112	0.119
19	उड़ीसा	10311	10414	11091	275	37	543	1756
20	पुड्डूचेरी	28	42	62	1	0ʊ276	2	5
21	राजस्थान	15059	31380	16203	458	7	2622	5201
22	सिक्किम	2	1	2	0.025	0.004	0.013	0.086
23	तमिलनाडु	3333	4588	7430	172	78	1254	1342
24	त्रिपुरा	16	10	20	0.6	0.067	0.583	3
25	उत्तर प्रदेश	16228	22314	19078	389	34	859	3785
26	उत्तराखंड	235	231	446	9	0ʊ795	29	89
27	पश्चिम बंगाल	8141	4143	7376	296	94	855	1933
	कुल जोड़	**158611**	**244575**	**186915**	**5584**	**563**	**20384**	**45248**

तालिका 1.2 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999–2000 से रबी 2009–10 तक (31.03.2011 की स्थिति में)

(स्रोत–एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट)

1.4 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना—एक परिचय

भारत सरकार ने पूर्व में वृहद फसल बीमा योजना वर्ष 1985 में केवल ऋणी कृषकों के लिये प्रारंभ की थी। प्राकृतिक आपदाओं आदि से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में **"राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना"** लागू की गई है। यह योजना रबी वर्ष 1999—2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं व्यवसायिक बैंको के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को बीमा राशि दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में रबी 1999—2000 से खरीफ 2009 तक 39,85,303 कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि बीमा समस्त ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है। वर्तमान में रबी वर्ष 2010—11 में यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों के अधिसूचित तहसील एवं पटवारी स्तर पर अधिसूचित फसलों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। तहसील स्तर पर फसलों को अधिसूचित करने हेतु कम से कम 500 हेक्टेयर रकबा तथा पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित करने के लिए कम से कम 100 हेक्टेयर रकबा होना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत खरीफ में 12 फसलें तथा रबी में 7 फसलें अधिसूचित की जाती है। योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान दिया जाता है किन्तु योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान की राशि प्राप्त प्रीमियम के 100 प्रतिशत से उपर की दावा राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार 50—50 प्रतिशत के अनुपात में वहन करती है। तहसील स्तर पर 16 तथा पटवारी स्तर पर 8 न्यूनतम फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आंकड़ो के आधार पर बीमा दावों का आंकलन किया जाता है।

1.4.1 योजना की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषकों के हित में यह योजना रबी 1999—2000 से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। कोई भी कृषक जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अधिसूचित फसल की खेती करता है वह उस फसल का बीमा करवा सकता है। इस योजना में ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों प्रकार के कृषकों के सम्मिलित होने का प्रावधान है, किन्तु जो कृषक बीमा हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋण लेंगे उनके लिये अनिवार्य है। गैर ऋणी कृषकों के लिये योजना स्वैच्छिक है।

क्र. सं	मौसम	बीमित किसान (हजार में)	बीमित क्षेत्र (हजार हेक्टे. में)	बीमाकृत राशि	सकल प्रीमियम	प्रीमियम सब्सिडी	दावे	लाभान्वित किसान (हजार में)
				(सभी राशियाँ करोड़ में)				
1	रबी 99-2000	187	451	58	0.969	0.167	0.113	**5**
2	खरीफ 2000	869	2004	396	16	3	82	**570**
3	रबी 2000-01	382	1024	175	3	0.391	16	**176**
4	खरीफ 2001	864	1959	433	19	3	33	**259**
5	रबी 2001-02	482	1319	267	5	0.456	19	**139**
6	खरीफ 2002	1196	2920	813	32	3	178	**621**
7	रबी 2002-03	582	1975	411	7	0.454	46	**282**
8	खरीफ 2003	978	2243	706	27	1	0.865	**12**
9	रबी 2003-04	543	1414	458	8	0.339	8	**37**
10	खरीफ 2004	1461	4900	1327	49	1	57	**202**
11	रबी 2004-05	672	1749	679	12	0.2	2	**57**
12	खरीफ 2005	1399	3353	1513	55	1	2	**20**
13	रबी 2005-06	777	2775	978	17	0.241	18	**108**
14	खरीफ 2006	1277	3002	1580	58	1	36	**136**
15	रबी 2006-07	582	1546	752	13	0.207	21	**86**
16	खरीफ 2007	1391	3592	2070	74	2	86	**164**
17	रबी 2007-08	824	2122	1341	23	0.326	255	**424**
18	खरीफ 2008	1065	2537	1724	63	1	17	**64**
19	रबी 2008-09	781	1833	1282	22	0.390	63	**148**
20	खरीफ 2009	1542	3678	3017	105	2	43	**101**
21	रबी 2009-10	1015	2269	1796	30	0.57	34	**103**
खरीफ मौसम जोड़		**12042**	**30187**	**13580**	**497**	**20**	**536**	**2150**
रबी मौसम जोड़		**6827**	**18478**	**8199**	**140**	**4**	**485**	**1565**
कुल जोड़		**18869**	**48665**	**21779**	**637**	**24**	**1021**	**3715**

तालिका 1.3 राज्य में योजना प्रारंभ से रबी 2009–10 तक के ऑकडें (31.03.2011 तक)

(स्रोत–एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट)

मध्यप्रदेश राज्य में योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड है। इस योजना में विगत वर्षो के औसत उपज के आंकडें जिन फसलों के फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपलब्ध होते है उन्हीं फसलों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाता है। योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक फसल के तहसील इकाई पर

16 फसल कटाई प्रयोग तथा पटवारी हल्का इकाई पर 8 फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर निकाले जाते है। जिसमें गेहूं एवं धान के लिये विगत 3 वर्ष तथा अन्य फसलों के लिये विगत 5 वर्ष भारत शासन ने निर्धारित किये है। खरीफ एवं रबी फसल के उपज के आंकड़े आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा बीमा कम्पनी को निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाते है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधान अनुसार राज्य शासन के द्वारा जिला स्तर योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं अन्य पहलुओं पर राज्य शासन एवं संचालक कृषि को नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसके अन्य सदस्य उप संचालक कृषि, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक, लीड बैंक अधिकारी एवं एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं। राज्य स्तर पर बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन, अधिसूचना आदि कें संबंध में निर्णय लेने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित है जो कि प्रत्येक मौसम के पूर्व बैठक आयोजित कर निर्णय लेती है।

1.4.2 योजना के उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

- प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज देना।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहन देना।
- विशेष कर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखना।
- खाद्य फसलों एवं तिलहनों के उत्पादन को समर्थन एवं उसे बढ़ावा देना।

1.4.3 बीमा हेतु पात्र कृषक

बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिए वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से कर रहे है। अधिसूचित फसलों के लिए स्वीकृत ऋण सीमा के अनुसार वितरित राशि ही बीमित राशि होती है। उपभोग ऋण, मध्य–कालिका ऋण या गैर–अधिसूचित फसलों के लिए वितरित ऋण बीमा के लिए पात्र नही हैं। सभी

अधिसूचित फसलों के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिये योजना मे शामिल होना अनिवार्य है तथा अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है। इस योजना में अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले कृषकों का बीमा स्वतः ही उस बैंक से हो जाता है जिस बैंक से वह फसल ऋण लेता है। कृषकों को अपने नजदीकी सहकारी बैंक/ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वंय जाकर बैंक खाता खुलवाना होता है व अधिसूचित फसल के लिये प्रीमियम राशि जमा कर अपनी फसल का बीमा करा सकते है। गैर ऋणी कृषकों को अपने निकटस्थ बैंक शाखा में जाकर स्वयं बीमा कराना होता है। इस योजना में दावों के पात्र कृषको को भुगतान उन्हीं बैंकों से प्राप्त होगा जिन बैंकों के माध्यम से उनके बीमा प्रकरण तैयार किये गये हैं। ऋणी कृषकों के दावों के भुगतान की पात्रता आने पर दावों की राशि उनके खातों में समायोजित होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय किसान द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में उसके स्वामित्व की कुल भूमि व क्षेत्रफल वार बोई जाने वाली फसलों के नाम इत्यादि का विवरण होता है जिससे फसलवार व खरीफ/रबी मौसमवार ऋण सीमा निर्धारित की जाती है। यही सीमा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा करने का आधार होती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से रिवाल्विंग क्रेडिट की सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाई गई है। अनेक किसान एक ही मौसम में अनेक बार राशि का आहरण व जमा करते हैं। ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड में उस मौसम की फसलवार निर्धारित राशि की सीमा तक ही बीमा किया जाता है।

सभी बैंक बीमा करवाने के इच्छुक अऋणी किसानों से प्रस्ताव पत्र स्वीकार कर उनकी जॉच कर, प्रीमियम की राशि प्राप्त कर उनको एक्जाई कर अपने नोडल कार्यालय के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ए.आई.सी. के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को प्रेषित करते है। अऋणी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने के लिए बैंक में खाता होना अनिवार्य है।

1.4.4 योजना की इकाई

योजना की इकाई तहसील एवं पटवारी हल्का है।

1.4.5 अधिसूचित/बीमित फसलें

राज्य शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राजपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2009 अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2009–10 के लिये पटवारी हल्का को अधिसूचित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी

प्रकार राजपत्र दिनांक 25 जून 2010 अनुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये पटवारी हल्का को अधिसूचित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त राजपत्र में जिलावार तहसील, राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम, नवीन पटवारी हल्का नं., पटवारी मुख्यालय का नाम एवं 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची प्रकाशित की गई है।

राज्य शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राजपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2009 अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2009–10 के लिये तहसीलवार अधिसूचित फसलों का परिभाषित क्षेत्र घोषित किए जाने की सूची प्रकाशित की गई है। इसी प्रकार राजपत्र दिनांक 25 जून 2010 अनुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये तहसील स्तर पर अधिसूचित फसलों का परिभाषित क्षेत्र घोषित किए जाने की सूची प्रकाशित की गई है। उक्त राजपत्र में फसलवार जिले एवं तहसील की सूची प्रकाशित की गई है।

प्रत्येक मौसम खरीफ एवं रबी हेतु तथा तहसील (कम से कम 500 हेक्टेयर में बुआई) एवं पटवारी हल्का (कम से कम 100 हेक्टेयर में बुआई) स्तर पर फसलों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। खरीफ एवं रबी मौसम की अधिसूचित फसलें निम्नानुसार है:

मौसम	स्तर	अधिसूचित फसलें
खरीफ वर्ष 2010	पटवारी हल्का	धान (सिंचित, असिंचित), सोयाबीन, तुअर (अरहर), बाजरा, मक्का
	तहसील	ज्वार, कोदो कुटकी, तिल, मूंगफली, कपास एवं केला
रबी वर्ष 2009–10	पटवारी हल्का	गेहूं (सिंचित, असिंचित) चना, राई सरसों
	तहसील	अलसी, आलू एवं प्याज

तालिका 1.4 अधिसूचित फसलें

1.4.6 बीमित राशि, प्रीमियम दरें तथा अनुदान

पात्रतानुसार ऋण लेने वाले कृषकों की पूरी राशि के बराबर राशि का बीमा करा सकते हैं। अधिसूचित फसलों के औसत उपज का 150 प्रतिशत तक समर्थन मूल्य की दर से उपज के मूल्य के बराबर बीमा का लाभ ले सकते हैं, परन्तु इसके लिये वाणिज्यिक दर से प्रीमियम

का भुगतान करना होता है। जिन कृषकों ने ऋण नहीं लिया है वे अपनी इच्छानुसार औसत उपज के बराबर मूल्य का बीमा करवा सकते हैं या 150 प्रतिशत का भी बीमा करवा सकते है।

अधिसूचित फसल	क्षतिपूर्ति स्तर %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रू.)
		बीमित राशि (रू.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	बीमित राशि (रू.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	
धान असिंचित	60	4397	2.5	6595	8.70	**10992**
धान सिंचित	60	9000	2.5	13501	6.20	**22501**
बाजरा	60	7029	3.5	10543	5.10	**17572**
मक्का	60	6558	2.5	9837	10.20	**16395**
तुअर	60	10057	2.5	15087	10.05	**25144**
सोयाबीन	60	8408	3.5	12613	5.35	**21021**
ज्वार	60	5520	2.5	8280	7.75	**13800**
कोदो–कुटकी	60	1329	2.5	1992	5.50	**3321**
मुँगफली	60	13308	3.5	19962	5.10	**33270**
तिल	60	6662	3.5	9993	5.55	**16655**
कपास	60	11707	5.0	17561	5.00	**29268**
केला	**80**	**211499**	**1.05**	**185062**	**1.05**	**396561**

तालिका 1.5 क्षतिपूर्ति स्तर एवं बीमित राशि की सीमा का विवरण

(स्रोत–एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट)

योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों में खरीफ में बाजरा 2.5 प्रतिशत एवं तिलहनी फसलों के लिये बीमित राशि का 3.50 प्रतिशत अन्य खरीफ फसलों के लिये बीमित राशि का 2.50 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो प्रीमियम देय है। रबी मौसम में गेहूॅं के लिये 1.50 प्रतिशत अन्य रबी फसलों के लिये 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो। नगदी फसलों में कपास के लिये प्रीमियम 8.15 प्रतिशत एवं उद्यानिकी की केला के लिये प्रीमियम दर 1.60 प्रतिशत एवं आलू के लिये 8.00 प्रतिशत तथा प्याज के लिये 5.85 प्रतिशत है। योजना प्रावधान अनुसार लघु/सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान देय है। अनुदान राशि में भारत सरकार एवं राज्य शासन की बराबर–बराबर की भागीदारी है।

1.4.7 क्षतिपूर्ति की गणना, दावों का निर्धारण एवं भुगतान की प्रकियां

क्षतिपूर्ति की गणना थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज कम आने पर बीमा कम्पनी द्वारा की जाती है। थ्रेशोल्ड उपज का अर्थ है वह औसत उपज जिसकी गणना योजना के प्रावधानों

के अनुसार गेहूं और धान के लिये पिछले 3 वर्षो की औसत उपज तथा अन्य फसलों के लिये पिछले पांच वर्षो की औसत उपज के आधार पर की जाती है। क्षतिपूर्ति की गणना का सूत्र है– दावा राशि = (उपज में कमी / थ्रेशोल्ड उपज) x बीमित राशि, (उपज में कमी = थ्रेशोल्ड उपज – वास्तविक उपज (चालू वर्ष की औसत उपज))

अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित इकाई तहसील / पटवारी हल्का पर जिन कृषकों द्वारा जिन बैंकों से बीमा कराया होता है यदि उस इकाई पर दावों का निर्धारण होता है तो बीमा कम्पनी संबंधित बैंकों को भुगतान करती है। इससे स्पष्ट है कि निर्धारित इकाई पर यदि दावे बनते है तो उस इकाई में सम्मिलित सभी कृषकों को लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उस इकाई पर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर थ्रेशोल्ड उपज की गणना के आधार पर दावों का निर्धारण किया जाता है। इस योजना में दावों के पात्र कृषको को भुगतान उन्हीं बैंकों से प्राप्त होगा जिन बैंकों के माध्यम से उनके बीमा प्रकरण तैयार किये गये हैं।

योजना प्रावधान अनुसार प्रदेश के अधिकतम दो जिलों को किसानों को योजना का लाभ व्यक्तिगत आधार पर देने का विशेष प्रावधान है। जिसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में यदि ओला, भूस्खलन, तूफान और बाढ़ की स्थिति आने पर बीमित कृषक को 48 घंटे के अंतर्गत संबंधित वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी को सूचना देना अनिवार्य है। जिससे बीमा कम्पनी जिला राजस्व अधिकारियों के सहयोग से क्षतिग्रस्त फसल का आंकलन कर सके। म.प्र. में खरीफ 2006 में दमोह जिले की हटा तहसील को इसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इसी तरह रबी 2006–07 में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील अधिसूचित की गई है। इन जिलों का तथा उनके अंतर्गत आने वाली तहसीलों की अधिसूचना राज्य स्तरीय समन्वय समिति राजस्व विभाग से घोषित इन जिलों के संबंध में प्राकृतिक आपदा की जानकारी के आधार पर निर्णय करती है।

1.5 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)

यह नवीन योजना रबी वर्ष 2010–11 से पायलेट के रूप में प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के तीन जिलों क्रमशः दतिया, ग्वालियर एवं श्योपुर जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में दतिया जिले के लिये गेहूं एवं चना तथा श्योपुर जिले में गेंहू एवं सरसों की फसल अधिसूचित की गई है। योजना के प्रावधानानुसार इन जिलों में रबी वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्थगित है। इस योजना के अंतर्गत

भारतीय कृषि बीमा कंपनी तथा आईसीआईसीआई लौम्बार्ड के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फसल कटाई के पश्चात् वास्तविक उपज आंकड़ो के आधार पर दावों का आंकलन किया जाना है। फसल कटाई के अंतिम प्रयोग के एक माह की समय–सीमा के अंदर आयुक्त भू–अभिलेख के द्वारा उत्पादन के आंकड़े बीमा कंपनी को उपलब्ध कराये जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार फसल बीमा हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति प्राथमिक मौसम संकेतकों के अनुमान, क्षेत्र गणना, उपग्रह से प्राप्त क्षेत्रों के आधार पर यह निर्णय लेती है कि बीमित इकाई के अधिकांश क्षेत्र में बुआई नहीं हो सकी है या बुआई नष्ट हो गयी है तो ऐसी स्थिति में बीमित राशि के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। किन्तु इस आपदा के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है तो तत्पश्चात् बीमा आवरण उस फसल के आगे मौसम के लिए समाप्त माना जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी गंभीर आपदा के कारण अधिसूचित फसल के उत्पादन में एग्रो, मेट्रोलॉजिकल डाटा, सेटेलाइट एमेजरी अथवा अन्य मौसम संकेतक के आधार पर राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी संयुक्त रूप से निर्णय लेकर फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है तो उसी मौसम के दौरान कुल बीमित राशि की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान की जाएगी। संशोधित योजना का राज्यों के साथ परामर्श कर आवश्यक परिवर्तन/संशोधनों को शामिल एवं कमियों को दूर कर और अधिक व्यापक और किसान अनुकूल बनाया गया है। बीमा योजना 11वीं पचवर्षीय योजना के पिछले दो वर्षो में रबी मौसम 2010–11 से भारत 50 के जिलों में पायलट आधार पर केन्द्रीय योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) को लागू करने एवं कार्यान्वयन की कई कमियों की पहचान कर प्राप्त अनुभव के आधार पर समीक्षा की गई। संशोधित योजना में निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

1. प्रमुख फसलों के लिए बीमा की क्षेत्र इकाई ग्राम पंचायत है। ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए एक ही मौसमी मापदण्ड।
2. दहलीज उपज और न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर की गणना के लिए 60 प्रतिशत के बजाय 70 प्रतिशत का ज्यादा कुशल आधार। बेहतर सुविधाओं के साथ ऋणी किसानों को अनिवार्य श्रेणी के तहत बीमा किया जाएगा जबकि गैर ऋणी किसानों को स्वैच्छिक श्रेणी के तहत बीमा किया जाएगा।

3. एमएनएआईएस के कार्यान्वियन में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और अनुभव के साथ निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को भी अनुमति होगी।
4. वर्षा में कमी अथवा प्रतिकूल मौसम से बुआई में रूकावट/रोपण के लिये राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर बीमित राशि के 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति पदान की जाएगी।
5. मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसम एवं सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम उपज आने पर 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति राशि कृषक को अग्रिम तौर पर प्रदान की जाएगी जो कि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संकेतक अनुमान/मौसम विज्ञान संबंधी डेटा/उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर।
6. फसल कटाई के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति। फसल कटाई के उपरान्त खेत में फैलाई हुई फसल को यदि 14 दिनों के भीतर चक्रवाती वर्षा से हानि/नुकसान होता है तो उसका आंकलन एवं क्षतिपूर्ति भुगतान कृषि भूमि स्तर पर किया जायेगा।
7. भू–स्खलन एवं ओला वृष्टि से प्रभावित फसल की क्षतिपूर्ति का आंकलन कृषि भूमि स्तर पर किया जायेगा।
8. प्रीमियम राशि में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुदान। दावा प्रक्रिया स्वसंचालित है, अतः बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

1.6 मूल्यांकन की आवश्यकता

योजना को प्रारंभ हुये 10 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके है। इस समयावधि में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अध्ययन की आवश्यकता है।

1. मैदानी स्तर पर कियान्वयन की क्या स्थिति है ?
2. जिन उद्देश्यों को लेकर योजना चलाई जा रही है उनकी प्रतिपूर्ति हो पा रही है या नहीं? मुख्य रूप से यह जानने की आवश्यकता है कि विशेष कर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखने की दिशा में योजना से क्या कोई परिवर्तन आया है?
3. वास्तविक क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है ताकि समय रहते समस्याओं/कठिनाईयों की पहचान की जा सके और उनके निराकरण का प्रयास किया जा सके।

अध्याय – 2

अध्ययन की कार्यविधि

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रभाव के आकलन का मुख्य केन्द्र बिंदु, लाभार्थियों की कृषि उपज एंव आजीविका में सुधार पर आधारित था। इस अध्ययन में योजना की उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में निर्धारित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, योजना से जुड़े सभी पक्षों, जैसे कि लाभार्थी, विभाग के कर्मचारी, सेवा प्रदाता बैंक आदि के विचारों को शामिल किया गया। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं एवं इसकी उपयोगिता बढ़ाने की दिशा में विभिन्न पक्षों के विचारों को सम्मिलित किया गया है। योजना के प्रभावों के अध्ययन के लिए अपनाई गई कार्यविधि को अध्ययन में शामिल लाभार्थियों की सुविधानुसार चिन्हित किया गया, जिससे अध्ययन के प्रक्रियाओं के दौरान उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अध्ययन में इस बात का प्रयास किया गया कि इस दौरान अध्ययन में शामिल लाभार्थियों की संवेदनशीलता एवं स्थानीय मूल्यों का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाये।

2.1 **अध्ययन** के **उद्देश्य**

इस अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से, सतत् आधार पर प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज तथा विशेष कर आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखने की दिशा में '**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**' के प्रभाव का आंकलन करना है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- योजना की पहुँच एवं विस्तार का अध्ययन करना।
- प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों का आंकलन करना।
- लाभार्थियों के द्वारा कृषि में प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में वृद्धि का आंकलन करना।
- सेवाप्रदाय प्रणाली कितनी प्रभावी रही है इसका अध्ययन एवं प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिये कारकों की पहचान करना (यदि कोई हो)।

2.2 अनुसंधान रूपरेखा

इस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों नामतः कृषि विभाग, योजना के लाभार्थियों, सेवा प्रदाता बैंक आदि की राय के आधार पर योजना के विभिन्न घटकों एवं इसकी उपयोगिता का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत गुणात्मक एवं संख्यात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। चिन्हित पटवारी हल्का के हितग्राही कृषकों, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, अधीक्षक भू–अभिलेख, जिला किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी, क्रियान्वित एजेंसी तथा बैंकों के अधिकारी आदि लोगों से प्रश्नावली, लक्षित समूह चर्चा (FGD), संरचित साक्षात्कार (Structured Interview) और द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्रित की गई। इस कार्य के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिनांक 19.07.2011 को भोपाल में दिया गया। अध्ययन के मार्गदर्शन एवं मॅानिटरिंग का कार्य स्कूल के परियोजना समन्वयक एवं संचालक द्वारा किया गया। योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं इस संबंध में नई संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु विभाग के अधिकारियों से विभिन्न स्तरों पर समूह चर्चाओं तथा साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। यह जानकारी मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर एकत्रित की गई।

1. विभिन्न स्तरों जैसें तहसील एवं पटवारी हल्का, विभागीय कर्मचारियों इत्यादि के बीच योजना के बारे में जागरूकता का स्तर।
2. प्रस्तावों को बनाने तथा आवेदन करने में आ रही समस्यायें।
3. सहकारी बैंक/ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने में, प्रीमियम राशि जमा करवाने तथा कृषकों के दावों के भुगतान में आ रही समस्यायें।
4. योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को आ रही समस्यायें।
5. क्रियान्वयन की दृष्टि से योजना के कमजोर पहलू।

अध्ययन के लिए निर्धारित उद्दश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अध्ययन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आँकडों का संग्रहण किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

- योजना संबंधी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज।
- संबंधित वर्ग, हितग्राहियों एवं क्षेत्र की सामान्य सामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाईल।
- योजना से समुदाय को जोड़ने और सहभागी बनाने संबधी प्रयासों की जानकारी।
- योजना से जुड़ी अन्य अध्ययन रिपोर्ट एवं दस्तावेज।

2.3 प्रश्नावली निर्माण

अध्ययन के उद्देश्य के संबंध में जानकारी एकत्र करने हेतु प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसे सहज एवं सरल भाषा में बनाया गया, जिससे कि उत्तरदाता को आसानी से समझ आ सकें। इस प्रश्नावली का निर्माण मुख्यः संख्यात्मक आँकड़ों को इकट्ठा करने के लिए किया गया तथा इसमें योजना के विभिन्न पहलू पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली से व्यक्तिगत जानकारियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया जिससे लाभार्थियों में आपसी भिन्नता का योजना के प्रभावों से संबंध देखा जा सके। अध्यात्मक आंकड़ों की विविधता एवं पहुँच को पूर्ण करने के लिए इनकी गुणात्मक आँकड़ों से भरपाई की गई। जिनका संग्रहण पी.आर.ए. तकनीक जैसें लक्षित समूह चर्चा के माध्यम से किया गया।

2.4 सर्वेक्षणकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम

योजना के अध्ययन के अंतर्गत संख्यात्मक प्रश्नावली के माध्यम से डाटा संग्रहण के लिए 2 जिलों में 2–2 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया गया। सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए विस्तृत उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में दिनांक 19.07.2011 को किया गया। इस कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रीय फसल बीमा योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। संख्यात्मक प्रश्नावली पर विस्तृत रूप में परिचर्चा, उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान किया गया। साथ ही साथ सभी सर्वेक्षणकर्ताओं को डाटा संग्रहण की नैतिक जिम्मेदारियों से भी अवगत कराया गया।

2.5 अध्ययन हेतु ज़िलों, तहसीलों एवं पटवारी हल्कों का चयन :

योजना प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य रूप से लागू है अतः अध्ययन में लाभार्थियों की विभिन्नता को पाने हेतु प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र (Agro Climatic Zones) वर्गीकरण को आधार बनाया गया।

इस प्रकार अध्ययन हेतु प्रदेश के दो अलग–अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित 2 जिलों का चयन निम्नानुसार किया गया –

1. प्रथम जिला जिसमें योजना के क्रियान्वयन का कम विस्तार (Low Coverage) एवं कम दावे (Less Claims) हो तथा खरीफ एवं रबी मौसम की फसलों में विविधता हो।
2. द्वितीय जिला जिसमें उचित विस्तार (Proper Coverage) एवं अधिक दावे (High Claims) हो तथा खरीफ एवं रबी मौसम की फसलों में विविधता हो।

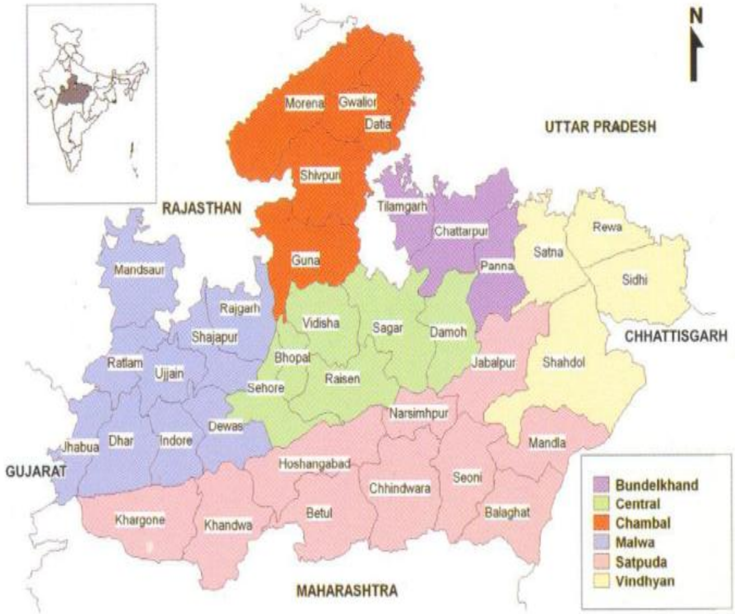

प्रत्येक ज़िले से 2–2 **तहसीलों** तथा प्रत्येक **तहसील** से 4–4 **पटवारी हल्कों**, इस तरह कुल 16 **पटवारी हल्कों** में अध्ययन किया गया। पटवारी हल्को का चयन रेन्डम आधार पर किया गया। **चयनित जिलों, तहसील एवं पटवारी हल्के का विवरण** निम्नानुसार हैं :–

क्र.	ज़िले के नाम	तहसीलों के नाम	पटवारी हल्कों की संख्या
1	भोपाल	हुजूर बैरसिया	4 4
2	होशंगाबाद	बाबई सोहागपुर	4 4
कुल	2 जिले	4 तहसीले	16 पटवारी हल्के

तालिका 2.1 चयनित जिलों, तहसील एवं पटवारी हल्के का विवरण

अध्ययन हेतु गांवों का चयन रेन्डम आधार पर किया गया। चिन्हित गॉवों के हितग्राही परिवारों, गैर बीमित परिवार एवं बैंक अधिकारी आदि लोगों से प्रश्नावली, लक्षित समूह चर्चा (FGD) और द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्रित की गई। चिन्हित पटवारी हल्का के हितग्राही जिनके दावे निरस्त एवं स्वीकार हुए है को बराबर–बराबर शामिल किया गया।

उपरोक्त वर्णित मापदण्डों के अनुसार **अध्ययन अंतर्गत लिये गये** जिलेवार **उत्तरदाताओं की संख्या** तालिका में दर्शायी गई है:

क्र.	कृषि जलवायु क्षेत्र	चयनित जिले	उत्तरदाता	उत्तरदाताओं की संख्या
1	मध्य नर्मदा वैली	होशंगाबाद	1. बीमित कृषक 2. गैर बीमित कृषक 3. बीमा प्रदाता बैंक	100 100 20
2	विंध्य पठार	भोपाल	1. बीमित कृषक 2. गैर बीमित कृषक 3. बीमा प्रदाता बैंक	100 100 20
कुल योग				**440**

तालिका 2.2 कृषि जलवायु क्षेत्र, जिले एवं उत्तरदाताओं का विवरण

2.6 संख्यात्मक एवं गुणात्मक आँकड़ों का संग्रहण

अध्ययन हेतु **उत्तरदाताओं** से कृषि बीमा संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी संख्यात्मक एवं गुणात्मक आँकड़ों के द्वारा एकत्रित की गई। संख्यात्मक आँकड़ों का संग्रहण अध्ययन के लिए विशेष प्रकार से तैयार की गई निम्नलिखित तीन प्रश्नावलीयों के माध्यम से किया गया :

1. ऋणी/गैर ऋणी कृषक (बीमित कृषक),
2. गैर बीमित कृषक एवं
3. योजनांतर्गत बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं

गुणात्मक आँकड़ों को एकत्र करने के लिए अध्ययन हेतु चयनित दोनो जिले में फोक्स समूहों के साथ परिचर्चा का आयोजन (दिनांक 25.08.2011 को भोपाल जिले के बैरसिया एवं हुजूर तहसीलों में तथा दिनांक 26–27.08.2011 को होशंगाबाद जिले के सोहागपुर एवं बाबई तहसीलों में) किया गया। इसे संख्यात्मक आँकड़ों के पूरक के रूप में अध्ययन के विश्लेषण में प्रयोग किया गया।

2.7 चर (Variables)

अध्ययन हेतु लिये गये मापदंडों का चर वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

2.7.1 मापक चर (Measured Variables)

अध्ययन हेतु लिए गये आँकड़ों में माप**क** चर निम्नलिखित है:–

- लाभार्थियों की योजना के बारे में धारणायें, उपयोगिता एवं उपलब्धता।
- लाभार्थियों की जिंदगी में बदलाव विशेषकर आय के संबंध में।
- योजना की पहुँच, प्रभावशीलता, समयबद्धता, गुणवत्ता एवं हस्तक्षेप की स्थिरता।

- योजना का प्रसार एवं सेवाओं को प्राप्त करने में बाधायें।
- लाभार्थियों के जीवन, सम्पत्ति, आय, प्रभावित समुदाय, ज्ञान, जागरूकता, आजीविकाओं के अवसरों, वृद्धि एवं सूचना आदि में परिवर्तन।
- योजना के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि।

.7.2 स्वतंत्र चर (Independent Variables)

अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्र चर (Independent Variables) निम्नलिखित हैः

- आय के प्रमुख साधन
- साक्षरता
- लिंग
- सम्पन्नता श्रेणी (बीपीएल/एपीएल)
- कृषक श्रेणी (जोत का आकार)

2.8 आँकड़ो का परीक्षण एवं कम्प्यूटरीकरण

अध्ययन के दौरान संख्यात्मक प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये गये आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण करने से पहले आँकड़ों के गुणों एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया गया। अध्ययन के लिए निर्धारित किये गये उद्देश्यों के आधार पर निर्मित प्रश्नावली के द्वारा उत्तरदाताओं से आँकड़ों का एकत्रिकरण किया गया। आँकड़ों के एकत्रिकरण के पश्चात् इनकी गुणवत्ता की सघन रूप से जाँच की गई तथा आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कम्प्यूटरीकरण कराया गया।

2.8 संख्यात्मक एवं गुणात्मक आँकड़ो का विश्लेषण

आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक आँकड़ों का विश्लेषण एम.एस. एक्सल साफ्टवेयर की मद्द से किया गया। गुणात्मक सूचनाओं की उत्पत्ति के लिए लक्षित समूह चर्चा से उत्पन्न हुई जानकारी का विश्लेषण किया गया।

2.9. निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों, द्वितीयक आंकड़ों तथा साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी, प्रश्नावली भरने के दौरान हुए अनुभवों के विश्लेषण से निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर अनुशंसाएं दी गई है, जिससे योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी हो सके।

भाग –3.3 योजनांतर्गत बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं

3.3.1 बीमा योजना से वित्तीय संस्थाओं का जुड़ाव

प्रस्तुत बार चित्रण में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के जुड़ाव को दर्शाया गया है। परिणामो के आधार पर पाया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के रूप में राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से 53 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक, 25 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 20 प्रतिशत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कृषि बीमा प्रदान कर रहे है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 35 प्रतिशत क्रमशः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीकृत बैंक एवं 25 प्रतिशत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा भोपाल जिले में 70 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक एवं 15 प्रतिशत क्रमशः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कृषि बीमा प्रदान कर रहे है।

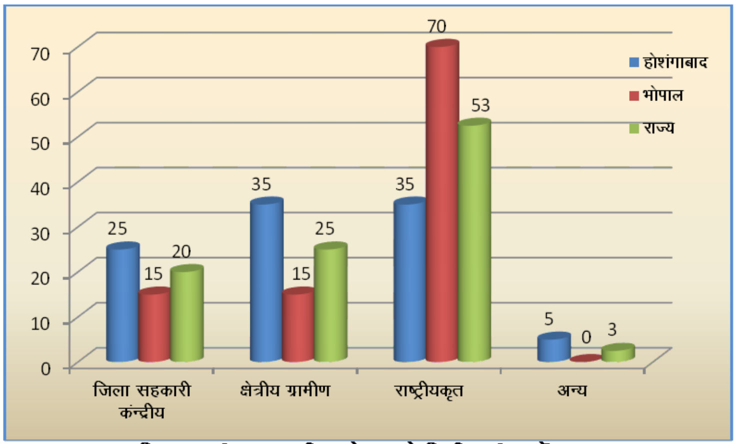

बार चित्रण क्रमांक–3.3.1 बीमा योजना से वित्तीय संस्थाओं का जुड़ाव

3.3.2 योजनांतर्गत बीमाधारी

प्रस्तुत बार चित्रण में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत विगत तीन वर्षो में कुल कृषक बीमाधारियों की संख्या के विवरण को दर्शाया गया है। योजनांतर्गत होशंगाबाद जिले में वर्ष 2008 में 24,786 बीमाधारी, वर्ष 2009 में 28,520 एवं वर्ष 2010 में 45,752 बीमाधारी तथा भोपाल जिले में वर्ष 2008 में 6,839 बीमाधारी, वर्ष 2009 में 10,833 एवं वर्ष 2010 में 13,712 बीमाधारी कृषक थे। होशंगाबाद जिले में बीमाधारी कृषकों की संख्या भोपाल जिले की तुलना में अधिक है एवं दोनो जिले में विगत तीन वर्षो में बीमाधारी कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

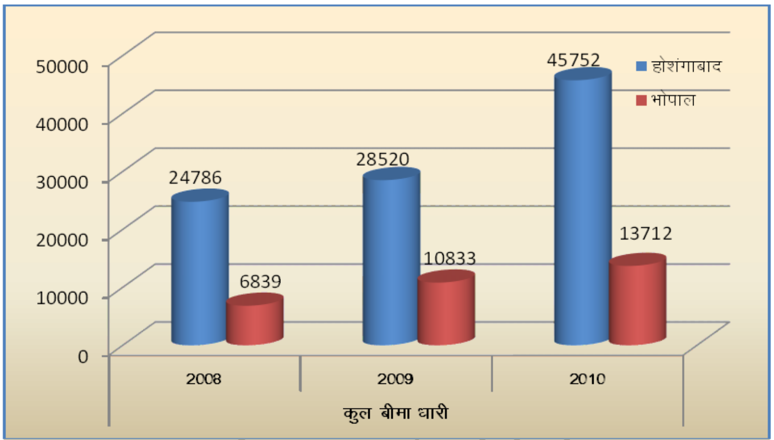

बार चित्रण क्रमांक–3.3.2 योजनांतर्गत बीमाधारी

3.3.3 कृषि बीमा प्रदाय में कठिनाई

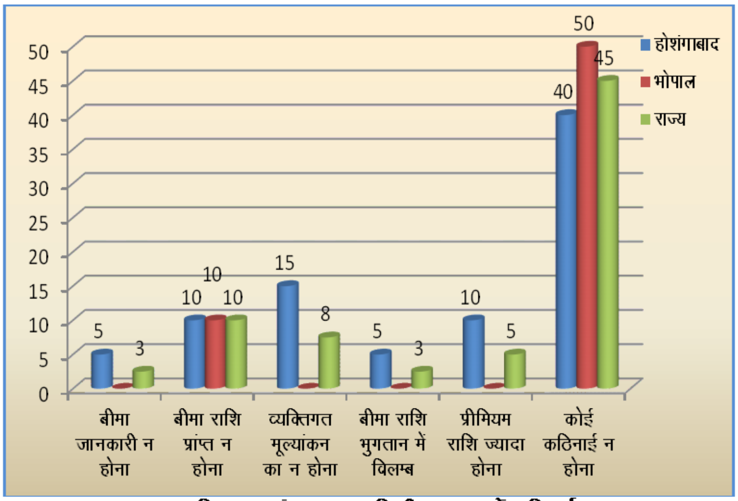

बार चित्रण क्रमांक–3.3.3 कृषि बीमा प्रदाय में कठिनाई

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत कृषि बीमा को प्रदाय करने में आ रही कठिनाईयों को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से योजनांतर्गत 45 प्रतिशत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि बीमा प्रदाय करने में कोई कठिनाई न होना दर्शाया गया है। बीमा प्रदाय कठिनाई में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं को बीमा राशि प्राप्त न होना दर्शाया गया है। बीमा राशि भुगतान में विलम्ब एवं कृषकों को बीमा जानकारी न होना 3 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन न होना 8 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा प्रदाय में कठिनाई का एक कारण बताया है।

3.3.4 योजना के प्रचार–प्रसार के उपाय

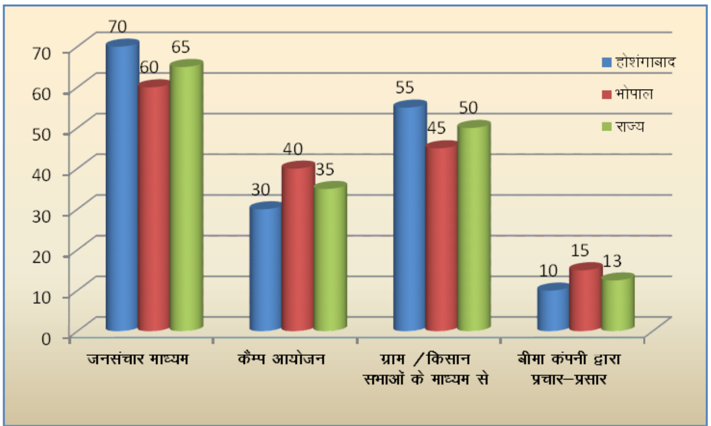

बार चित्रण क्रमांक–3.3.4 योजना के प्रचार–प्रसार हेतु उपाय

प्रस्तुत बार चित्रण में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रचार–प्रसार के लिए बैंक द्वारा सुझाएं गए विभिन्न उपायों को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जनसंचार माध्यमों जैसें पोस्टर, बैनर, समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविजन आदि को योजना के प्रचार–प्रसार के प्रमुख साधन के रूप में दर्शाया है। 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा किसान मेलों, हाट बाजारों एवं मंडियों में बीमा कैम्प आयोजित कर एवं 50 प्रतिशत द्वारा ग्राम संभाओं एवं किसान सभाओं के माध्यम से योजना के प्रचार–प्रसार किये जाने की आवश्यकता को दर्शाया है। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बीमा कंम्पनी द्वारा प्रचार सामग्री के प्रकाशन कर उचित वितरण को प्रचार–प्रसार का माध्यम होना दर्शाया है।

3.3.5 योजना सुधार हेतु सुझाव

प्रस्तुत बार चित्रण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सुधार हेतु विभिन्न सुझावों को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा योजना को स्वैच्छिक बनाये जाने, 45 प्रतिशत द्वारा अधिक फसलों को अधिसूचित करने एवं 60 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाये जाने पर अपनी सहमति को दर्शाया है। जिलों को पृथक रूप से देखन पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अधिक फसलों को अधिसूचित करने एवं 65 प्रतिशत द्वारा योजना को स्वैच्छिक बनाये जाने को वरीयता दी है। भोपाल जिले में 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा योजना को स्वैच्छिक बनाये जाने को वरीयता दी है। अन्य सुझाव अंतर्गत निम्नलिखित योजना सुधार हेतु सुझाव प्राप्त हुए:

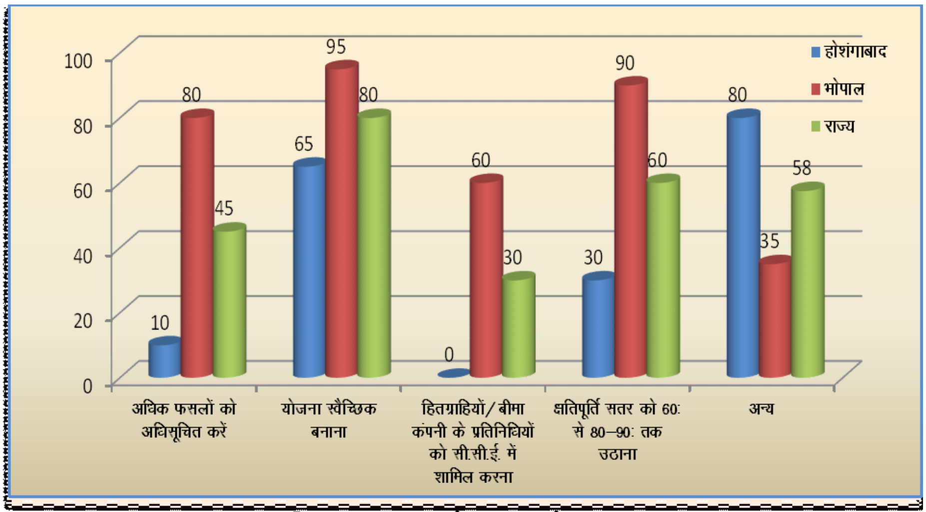

बार चित्रण क्रमांक–3.3.5 योजना सुधार हेतु सुझाव

1. कृषि विभाग द्वारा बैंकों को समय–समय पर सहयोग।
2. फसल के नुकसान में व्यक्तिगत मूल्यांकन।
3. बीमा प्रक्रियां को सरल कर दावा निराकरण शीघ्र करना।
4. क्षतिपूर्ति की जॉच की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना।
5. फसल नुकसान मापने की प्रक्रियां की जटिलता एवं तहसील स्तर पर कमेटी बनाकर उसका निराकरण।
6. योजना की संपूर्ण जानकारी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर तहसील में उपलब्ध कराना।
7. क्षतिपूर्ति हेतु पटवारी हल्का के बजाय ग्राम स्तर का निर्धारण।

अध्याय –3
आँकड़ों का विश्लेषण

अध्ययन के लिए तैयार की गई संख्यात्मक प्रश्नावलीयों पर बीमित कृषकों, गैर बीमित कृषकों एवं बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों से विस्तृत परिचर्चा की गई। साथ की गुणात्मक परिचर्चाओं के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्रित की गई। एकत्रित जानकारियों के आधार पर जिलेवार विस्तृत तालिकाओं का निर्माण किया गया साथ ही साथ अध्ययन के दौरान जिलो की संख्यात्मक प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त जानकारियों का योग करके राज्य स्तर पर योजना का परिपेक्ष तालिकाओं में दिया गया है (संदर्भ हेतु अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाएं परिशिष्ट–I में व्यवस्थित हैं)। आँकड़ों को विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर दर्शाया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के विश्लेषण में सभी विकल्पों को समान रूप से प्राथमिकता देते हुए कुल प्राप्त उत्तरों को प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया गया है। इस आधार पर अध्ययन में एकत्रित जानकारियाँ का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

भाग –3.1 ऋणी/गैर ऋणी बीमित कृषक

3.1.1 लिंगानुपात

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनान्तर्गत बीमित कृषकों का लिंगानुपात विवरण दर्शाया गया है। अध्ययन के अंतर्गत यह पाया गया है कि राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से योजनांतर्गत 96 प्रतिशत बीमित कृषक पुरूष वर्ग से एवं 4 प्रतिशत महिला वर्ग से है। योजनांतर्गत पुरूष वर्ग के बीमित कृषकों की संख्या अधिक है।

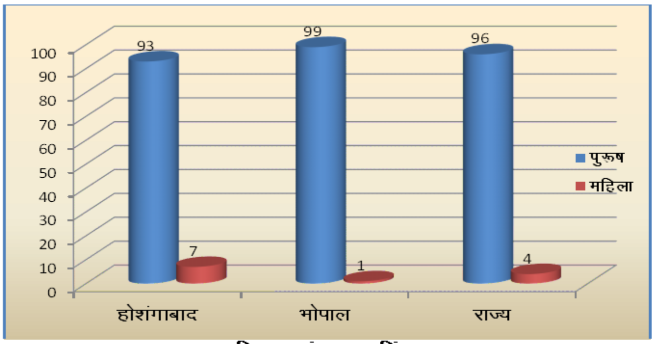

बार चित्रण क्रमांक–3.1.1 लिंगानुपात

3.1.2 जातीय वर्गीकरण

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनान्तर्गत बीमित कृषकों के जातीय वर्गीकरण को दर्शाया गया है। अध्ययन अंतर्गत लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से

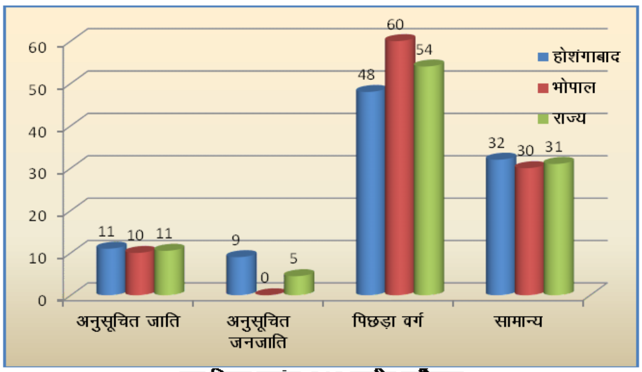

बार चित्रण क्रमांक–3.1.2 जातीय वर्गीकरण

योजनांतर्गत 54 प्रतिशत बीमित कृषक पिछड़ा वर्ग से, 31 प्रतिशत सामान्य, 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के है। जिलों को पृथक रूप से देखने से प्रतीत होता है कि भोपाल जिले में 60 प्रतिशत बीमित कृषक पिछड़ा वर्ग से तथा एक भी बीमित कृषक अनुसूचित जनजाति वर्ग से नही है। होशंगाबाद जिले में 48 प्रतिशत बीमित कृषक पिछड़ा वर्ग, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग तथा 9 प्रतिशत बीमित कृषक अनुसूचित जनजाति वर्ग से है।

3.1.3 आर्थिक वर्गीकरण

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों के आर्थिक वर्गीकरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 22 प्रतिशत बीमित कृषक बी.पी.एल. एवं 78 प्रतिशत ए.पी.एल. श्रेणी से है। जिलों को पृथक रूप से देखने से प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 28 प्रतिशत बीमित कृषक बी.पी.एल. एवं 72 प्रतिशत ए.पी.एल. श्रेणी से है। भोपाल जिले में 16 प्रतिशत बीमित कृषक बी.पी.एल. एवं 84 प्रतिशत ए.पी.एल. श्रेणी से है।

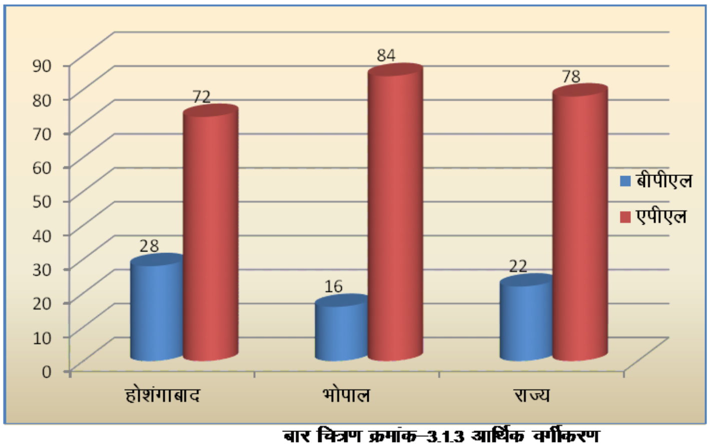

बार चित्रण क्रमांक–3.1.3 आर्थिक वर्गीकरण

3.1.4 साक्षरता स्तर

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों के साक्षरता स्तर को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 83 प्रतिशत बीमित कृषक शिक्षित एवं 18 प्रतिशत अशिक्षित है। जिलों को पृथक रूप से देखने से प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 76 प्रतिशत बीमित कृषक शिक्षित एवं 24 प्रतिशत अशिक्षित है। भोपाल जिले में 89 प्रतिशत बीमित कृषक शिक्षित एवं 11 प्रतिशत अशिक्षित है।

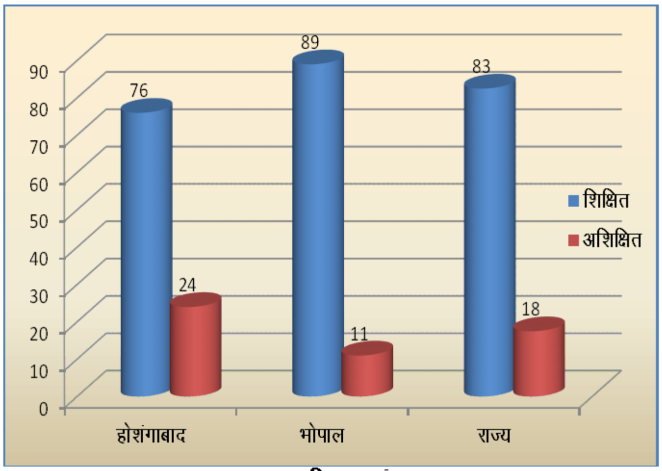

बार चित्रण क्रमांक–3.1.4 साक्षरता स्तर

3.1.5 आय के साधन

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों के विभिन्न आय के प्रमुख साधनों को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 99 प्रतिशत बीमित कृषक का आय का प्रमुख साधन कृषि है। बीमित कृषकों में नौकरीपेशा एवं स्वरोजगार कृषकों की संख्या नगण्य है।

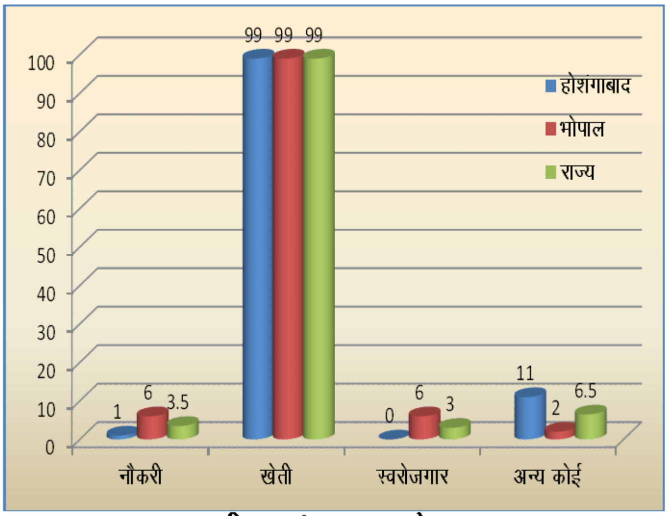

बार चित्रण क्रमांक–3.1.5 आय के साधन

3.1.6 कृषक श्रेणी

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों के जोत के आकार को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 34 प्रतिशत बड़े कृषक (10 एकड़ से अधिक), 32 प्रतिशत सामान्य कृषक (5 से 10 एकड़ तक), 26 प्रतिशत लघु कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक) तथा 9 प्रतिशत सीमांत कृषक (2.5 एकड़ तक) है।

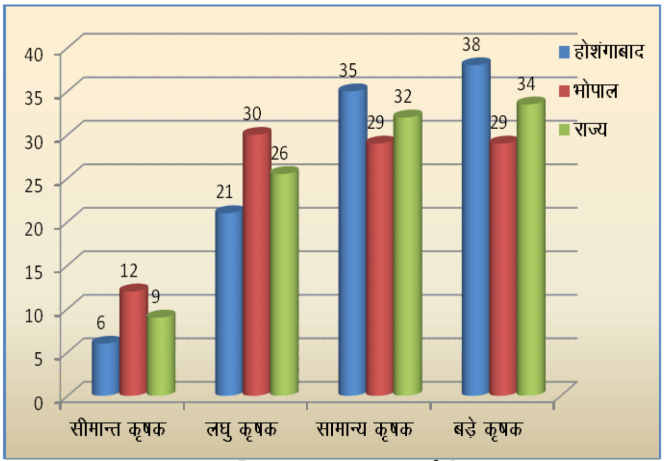

बार चित्रण क्रमांक–3.1.6 कृषक श्रेणी

3.1.7 बीमा प्रदाता वित्तीय संस्था

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों को बीमा प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 52 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक, 42 प्रतिशत सहकारी बैंक तथा 7 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बीमित कृषकों को बीमा प्रदान कर रहे है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद

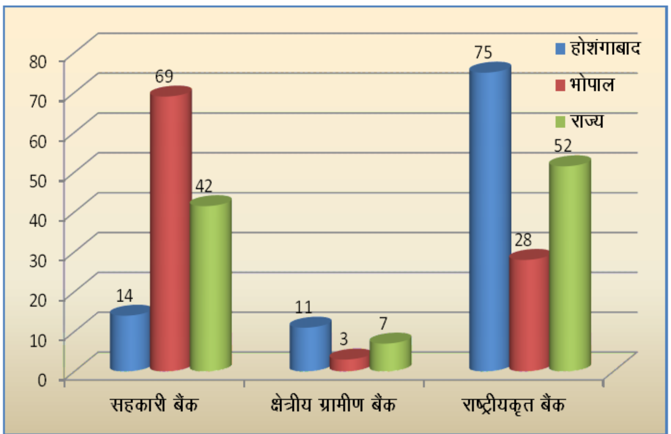

बार चित्रण क्रमांक–3.1.7 बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं

जिले में 75 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक, 14 प्रतिशत सहकारी बैंक तथा 11 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं भोपाल जिले में 28 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक, 69 प्रतिशत सहकारी बैंक तथा 3 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बीमित कृषकों को बीमा प्रदान कर रहे है।

3.1.8 बीमित परिवार की वार्षिक आय

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 51 प्रतिशत बीमित कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 1.0 लाख से ज्यादा, 32 प्रतिशत परिवार 50 हजार से 1 लाख के मध्य, 13 प्रतिशत परिवार 25 हजार से 50 हजार तथा 4 प्रतिशत परिवार की औसत वार्षिक आय 25 हजार से कम है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 34 प्रतिशत बीमित कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 1.0 लाख से ज्यादा, 51 प्रतिशत परिवार 50 हजार से 1 लाख के मध्य, 12 प्रतिशत परिवार 25 हजार से 50 हजार तथा 3 प्रतिशत परिवार की औसत वार्षिक आय 25 हजार से कम एवं भोपाल जिले में 68 प्रतिशत बीमित कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 1.0 लाख से ज्यादा, 14 प्रतिशत परिवार 25 हजार से 50 हजार तथा 5 प्रतिशत परिवार की औसत वार्षिक आय 25 हजार से कम है।

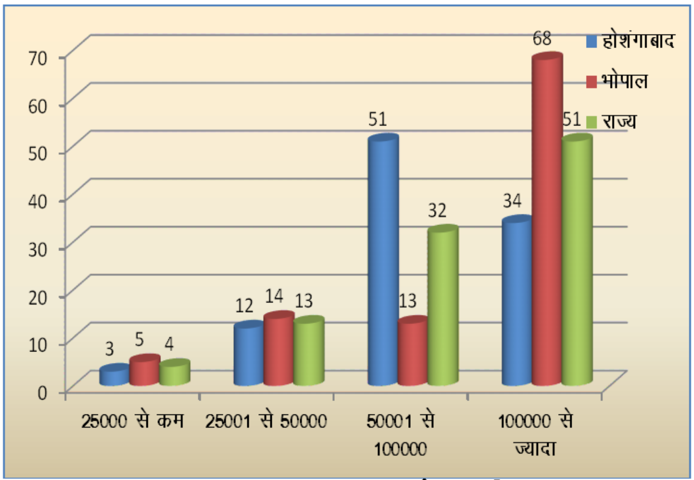

बार चित्रण क्रमांक–3.1.8 बीमित परिवारों की वार्षिक आय

3.1.9 ऋण स्थिति

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा पिछले तीन वर्षो में कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लेने की स्थिति को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 61 प्रतिशत

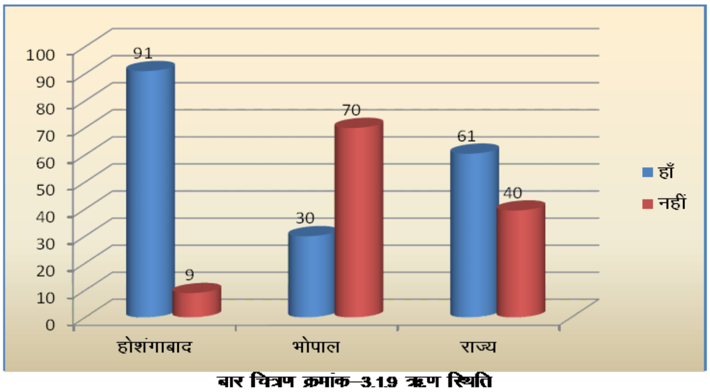

बार चित्रण क्रमांक–3.1.9 ऋण स्थिति

बीमित कृषकों द्वारा पिछले तीन वर्षो में कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लिया गया है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 91 प्रतिशत बीमित कृषकों एवं भोपाल जिले में 30 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा पिछले तीन वर्षो में कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लिया गया है।

3.1.10 विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान की स्थिति

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में विभिन्न प्रकार की फसलों के नुकसान की स्थिति को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 82 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी भी प्रकार की फसलों को नुकसान होना बताया गया है। होशंगाबाद जिले में 75 प्रतिशत बीमित कृषकों एवं भोपाल जिले में 89 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी भी प्रकार की फसलों को नुकसान होना बताया गया है।

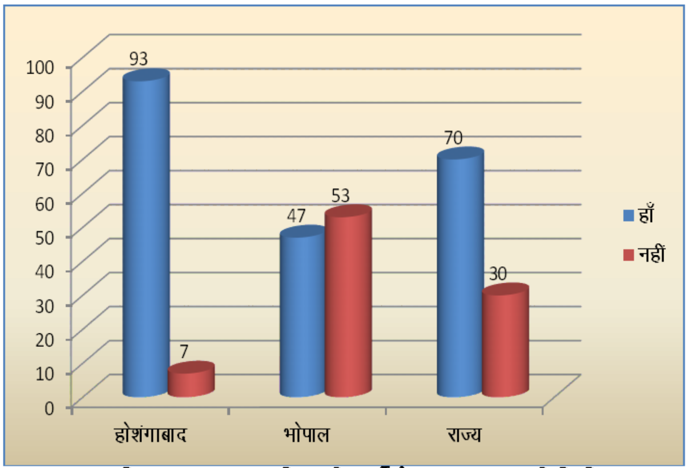

बार चित्रण क्रमांक–3.1.10 विगत तीन वर्षो मे फसल नुकसान की स्थिति

3.1.11 उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग की स्थिति

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा कृषि बीमा कराने के उपरांत कृषि के प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी के उपयोग की स्थिति को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 70 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा कृषि के प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। होशंगाबाद जिले में 93

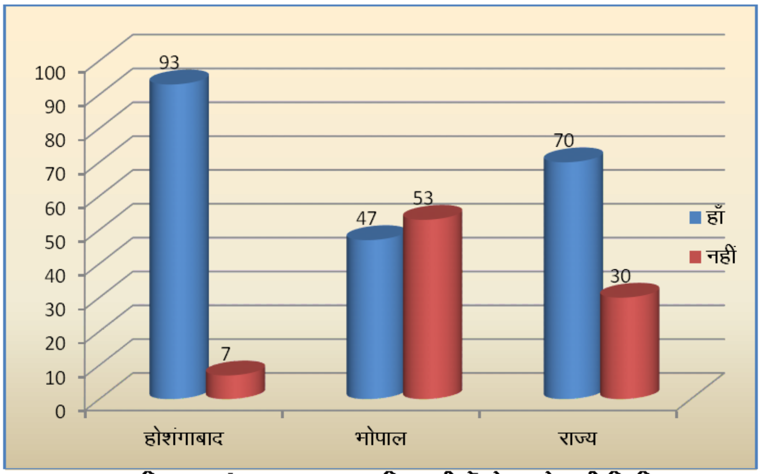

बार चित्रण क्रमांक–3.1.11 उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग की स्थिति

प्रतिशत एवं भोपाल जिले में 47 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा कृषि के प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

3.1.12 उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग का विवरण

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा कृषि बीमा कराने के उपरांत उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग अंतर्गत प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 68 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्रमशः उत्तम उर्वरक तथा कृषि यंत्रों का उपयोग, 60 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा उच्च उपज बीजों का उपयोग, 47 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा जैविक खेती का उपयोग एवं 40 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा संकर प्रजाति के बीज जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया है।

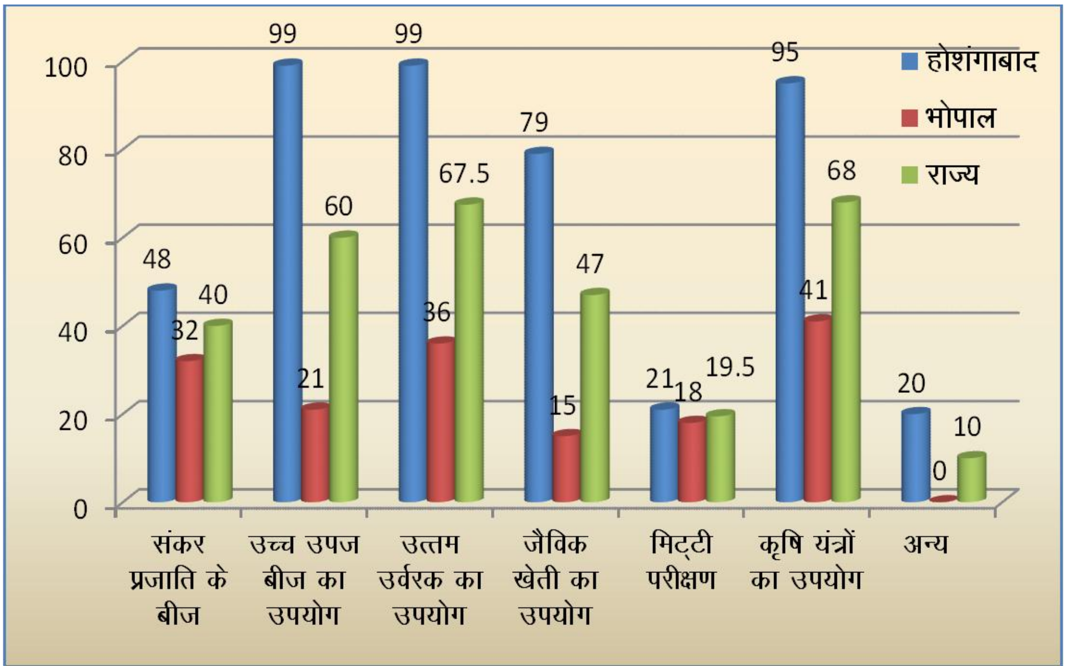

बार चित्रण क्रमांक–3.1.12 उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग

होशंगाबाद जिले में 99 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्रमशः उत्तम उर्वरक तथा उच्च उपज बीजों का उपयोग, 95 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा कृषि यंत्रों का उपयोग, 79 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा जैविक खेती का उपयोग एवं 48 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा संकर प्रजाति के बीज एवं भोपाल जिले में 36 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा उत्तम उर्वरक, 41 प्रतिशत द्वारा कृषि यंत्रों का उपयोग एवं 32 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा संकर प्रजाति के बीज जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया है।

3.1.13 योजना जानकारी का स्रोत

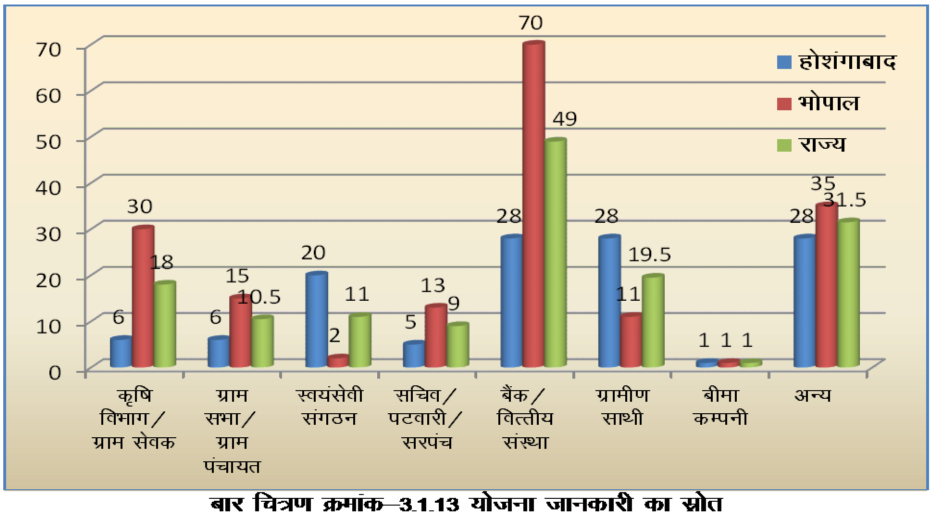

बार चित्रण क्रमांक–3.1.13 योजना जानकारी का स्रोत

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी के विभिन्न स्रोतों के विवरण को दर्शाया गया है। दोनों जिलों में सम्मिलित रूप से योजनांतर्गत 49 प्रतिशत बीमित कृषकों को योजना की जानकारी वित्तिय संस्थाओं, 18 प्रतिशत को कृषि विभाग अथवा ग्राम सेवक, 11 प्रतिशत कृषकों को क्रमशः ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं स्वयं सेवी संगठन, 9 प्रतिशत को सचिव/पटवारी एवं 19 प्रतिशत बीमित कृषकों को अपने ग्रामीण साथी द्वारा प्राप्त हुई। होशंगाबाद जिले में 28 प्रतिशत बीमित कृषको को क्रमशः बीमा प्रदाता वित्तीय संस्था एवं अपने ग्रामीण साथियों तथा 20 प्रतिशत बीमित कृषकों को स्वयंसेवी संगठन एवं भोपाल जिले में 70 प्रतिशत बीमित कृषकों को वित्तीय संस्था, 30 प्रतिशत बीमित कृषकों को कृषि विभाग/ग्राम सेवक तथा 35 प्रतिशत बीमित कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई।

3.1.14 योजना के प्रेरणा स्रोत

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लेने हेतु विभिन्न प्रेरणा स्रोतों के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत 54 प्रतिशत बीमित कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लेने हेतु वित्तिय संस्थाओं, 15 प्रतिशत को कृषि विभाग/ग्राम सेवक, 11 प्रतिशत को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, 12 प्रतिशत को स्वयं सेवी संगठन, 8 प्रतिशत कृषकों को सचिव/पटवारी एवं 28 प्रतिशत बीमित कृषकों को अपने ग्रामीण साथी द्वारा प्रेरित किया। होशंगाबाद में 30 प्रतिशत बीमित कृषको को बीमा प्रदाता वित्तीय संस्था, 20 प्रतिशत को स्वयंसेवी संगठन तथा 28 प्रतिशत को अपने ग्रामीण साथी एवं भोपाल में 78 प्रतिशत बीमित कृषकों को वित्तीय संस्था, 25

प्रतिशत को कृषि विभाग/ग्राम सेवक तथा 15 प्रतिशत बीमित कृषकों को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लेने के लिए प्रेरित किया गया।

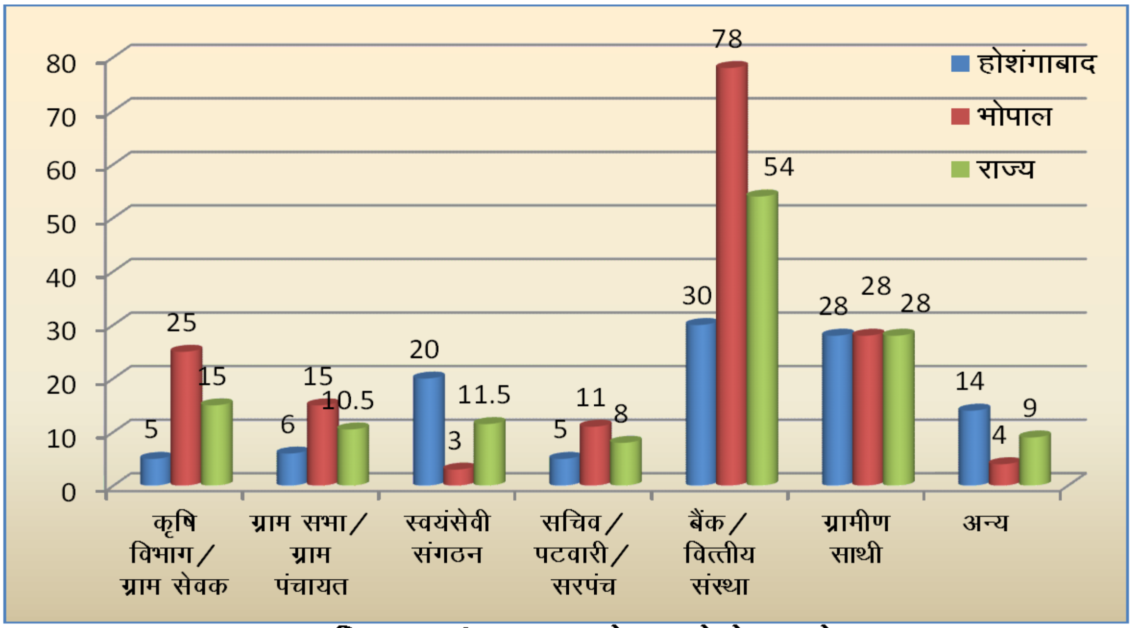

बार चित्रण क्रमांक–3.1.14 योजना के प्रेरणा स्रोत

3.1.15 योजना जुड़ाव हेतु जानकारी एवं मदद

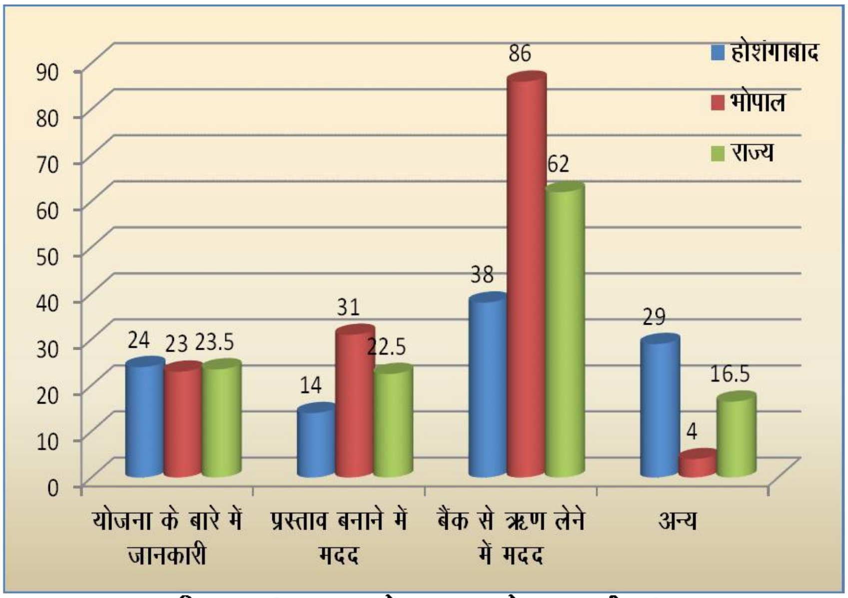

बार चित्रण क्रमांक–3.1.15 योजना जुड़ाव हेतु जानकारी एवं मदद

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से जुडने में शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों से जानकारी एवं मदद के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजनांतर्गत योजना से जुडने में 62 प्रतिशत बीमित कृषकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में, 23 प्रतिशत को प्रस्ताव बनाने में एवं 24 प्रतिशत बीमित कृषकों को योजना के बारे में जानकारी प्रदाय करने में शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। होशंगाबाद में योजना से जुडने में 38 प्रतिशत बीमित कृषकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में, 14

प्रतिशत को प्रस्ताव बनाने में एवं 24 प्रतिशत बीमित कृषकों को योजना के बारे में जानकारी एवं भोपाल में 86 प्रतिशत बीमित कृषकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में, 31 प्रतिशत को प्रस्ताव बनाने में एवं 23 प्रतिशत बीमित कृषकों को योजना के बारे में जानकारी प्रदाय करने में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

3.1.16 योजना प्रक्रियाओं की जानकारी

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लेने से पहले योजना प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त होने की जानकारी को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजना लेने से पहले योजना प्रक्रियाओं की जानकारी 40 प्रतिशत बीमित कृषकों को थी। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में योजना लेने से पहले योजना प्रक्रियाओं की जानकारी 58 प्रतिशत बीमित कृषकों को एवं भोपाल जिले में 22 प्रतिशत बीमित कृषकों को थी।

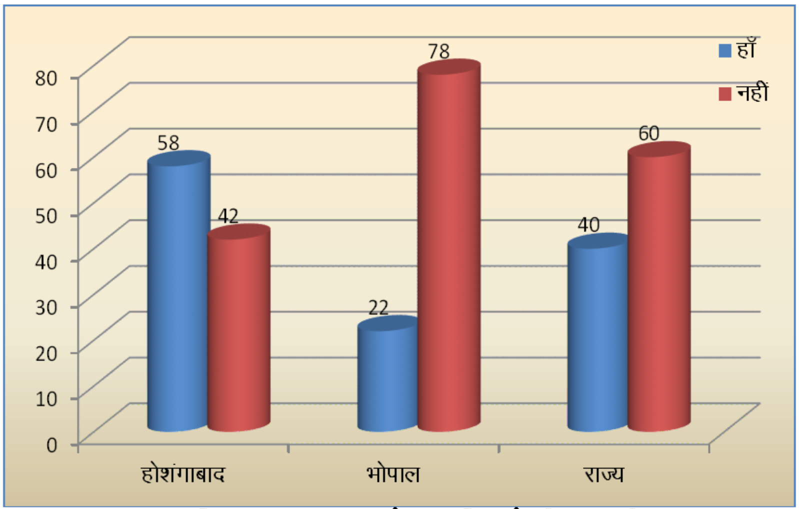

बार चित्रण क्रमांक–3.1.16 योजना प्रक्रियाओं की जानकारी

3.1.17 योजना क्रियान्वयन में कठिनाईयाँ

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के विवरण को दर्शाया गया है। अध्ययन के परिणामों के आधार पर पाया गया कि राज्य स्तर पर योजनांतर्गत योजना की क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों में 53 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा ऋण लेने की प्रक्रियां में जटिलता, 38 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा आवेदन पत्र की शर्तो के अनुसार सूचनाओं एवं दस्तावेजों का एकत्रिकरण एवं आवेदन पत्र को भरने में एवं 31 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा बैंक कर्मचारी द्वारा प्रस्तावों को तब्ज्जों नही देने संबंधी कठिनाई बताई है।

3.1.18 योजना क्रियान्वय से संतुष्टि

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की क्रियान्वयन से संतुष्टि के स्तर को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजना की क्रियान्वयन में 29 प्रतिशत बीमित कृषकों ने संतुष्टि दर्शायी है। होशंगाबाद जिले में योजना के क्रियान्वयन में 41 प्रतिशत बीमित कृषकों ने एवं भोपाल जिले में 16 प्रतिशत बीमित कृषकों ने संतुष्टि दर्शायी है।

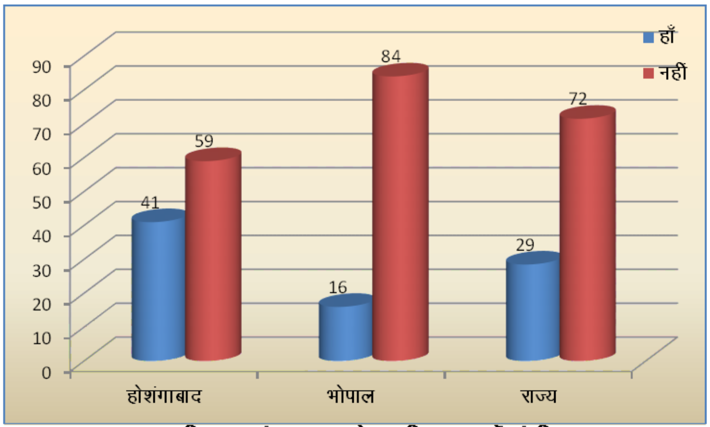

बार चित्रण क्रमांक–3.1.18 योजना क्रियान्वयन में संतुष्टि

3.1.19 योजना से असंतुष्टि के कारण

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन से असंतुष्टि के कारणों को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में 67 प्रतिशत बीमित कृषकों ने नुकसान के आंकलन की इकाई, 58 प्रतिशत बीमित कृषकों ने दावों के निराकरण प्रक्रिया की जटिलता, 32 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा अधिसूचित फसलों एवं 38 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर से असंतुष्टि दर्शायी है।

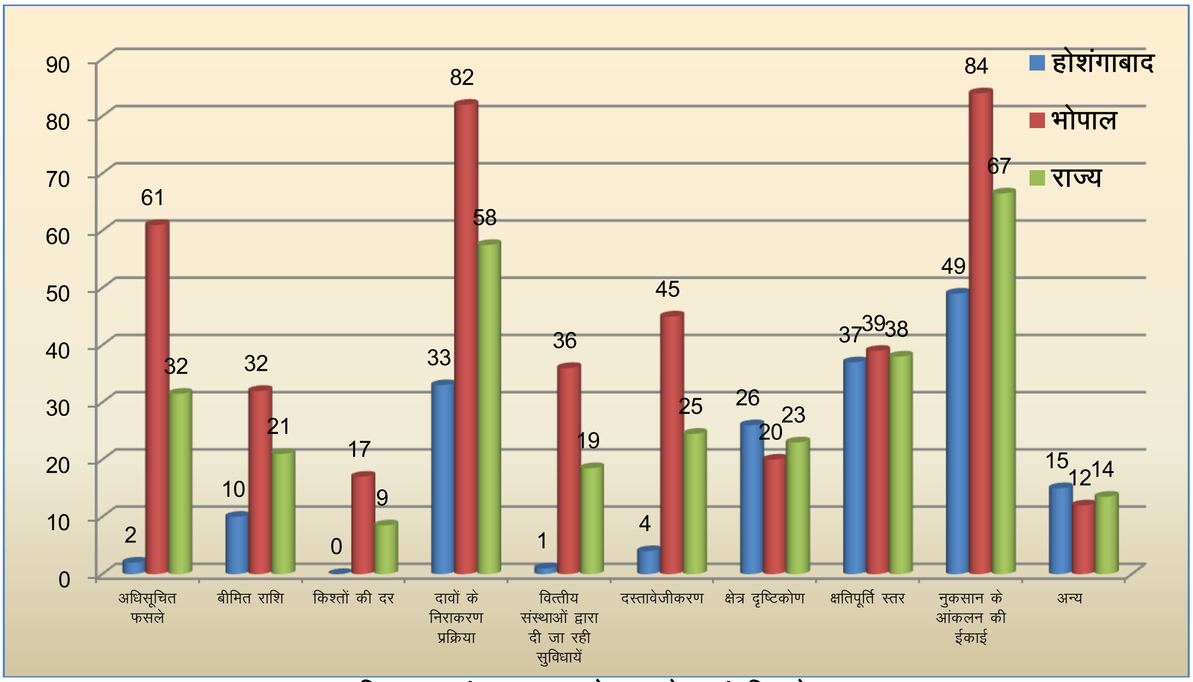

बार चित्रण क्रमांक–3.1.19 योजना से असंतुष्टि के कारण

होशंगाबाद में योजना के क्रियान्वयन में 49 प्रतिशत बीमित कृषकों ने नुकसान के आंकलन की इकाई, 33 प्रतिशत बीमित कृषकों ने दावों के निराकरण प्रक्रिया की जटिलता एवं 37 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर से तथा भोपाल में 84 प्रतिशत बीमित कृषकों ने नुकसान के आंकलन की इकाई, 82 प्रतिशत बीमित कृषकों ने दावों के निराकरण प्रक्रिया की जटिलता, 61 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा अधिसूचित फसलों एवं 39 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर से असंतुष्टि दर्शायी है।

3.1.20 योजना क्रियान्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से संतुष्टि

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियांन्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से संतुष्टि को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से योजना के क्रियांन्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से 66 प्रतिशत बीमित कृषकों ने संतुष्टि दर्शायी है। होशंगाबाद में योजना के क्रियांन्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से 88 प्रतिशत बीमित कृषकों ने एवं भोपाल में 43 प्रतिशत बीमित कृषकों ने संतुष्टि दर्शायी है।

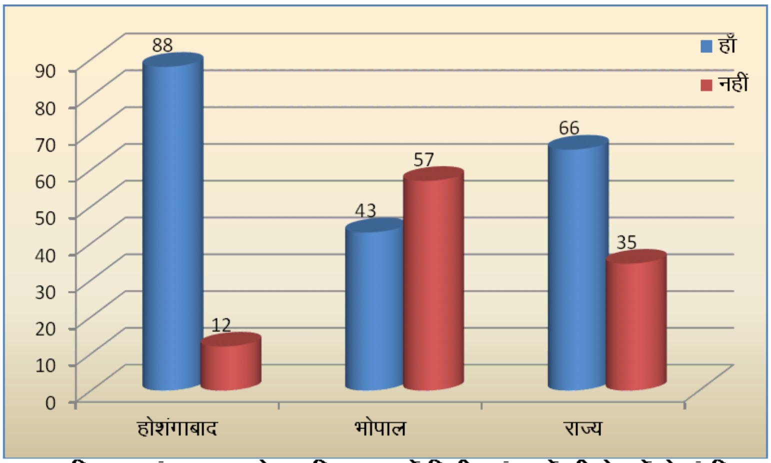

बार चित्रण क्रमांक–3.1.20 योजना क्रियान्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से संतुष्टि

3.1.21 योजना सुधार हेतु सुझाव

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सुधार लाने के संबंध में विभिन्न सुझावों के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर योजना सुधार हेतु सुझाव अंतर्गत 75 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, 73 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना, 67 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा बीमा दावों के त्वरित निपटान, 62 प्रतिशत द्वारा योजना स्वैच्छिक बनाना एवं 58 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा अधिक फसलों को अधिसूचित करने को योजना सुधार का एक कारक बताया गया है।

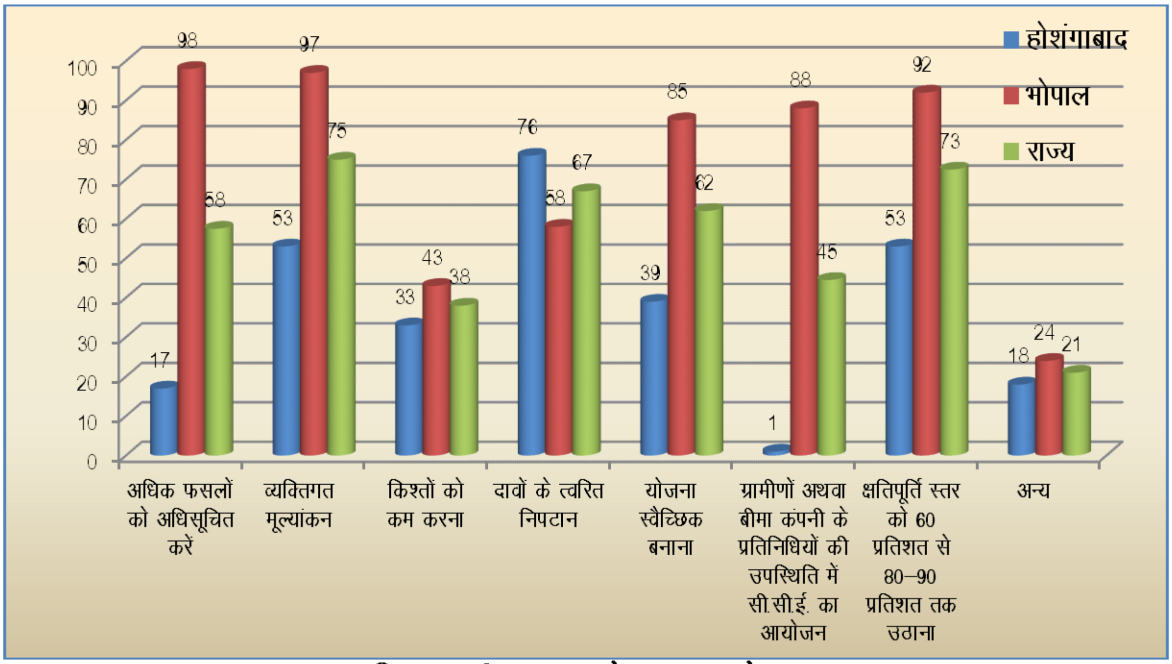

बार चित्रण क्रमांक–3.1.21 योजना सुधार हेतु सुझाव

जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद में 53 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्रमशः व्यक्तिगत मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना तथा 76 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा बीमा दावों के त्वरित निपटान एवं भोपाल में 98 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा अधिक फसलों को अधिसूचित करना, 97 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, 92 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना तथा 85 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा योजना स्वैच्छिक बनाने हेतु योजना सुधार का एक कारक बताया गया है।

3.1.22 शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार का माध्यम

प्रस्तुत बार चित्रण में योजनांतर्गत बीमित कृषकों द्वारा शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रचार–प्रसार के उचित माध्यम के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार के माध्यम अंतर्गत 82 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा जन संचार माध्यम जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि, 53 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा किसान सभाओं एवं 52 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा समाचार पत्र को प्रचार–प्रसार का उचित माध्यम बताया गया है।

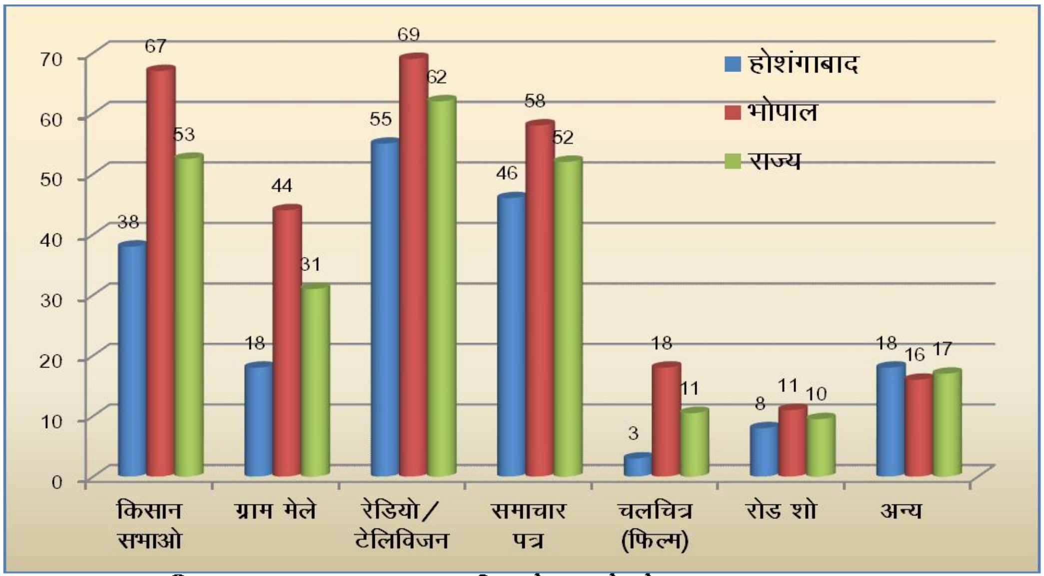

बार चित्रण क्रमांक–3.1.22 शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार का माध्यम

जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद में 55 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा जन संचार माध्यम जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि, 46 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा समाचार पत्र एवं 38 प्रतिशत द्वारा किसान सभाओं एवं भोपाल में 69 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा जन संचार माध्यम जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि, 58 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा समाचार पत्र एवं 67 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा किसान सभाओं को प्रचार–प्रसार का उचित माध्यम बताया गया है।

भाग –3.2 गैर बीमित कृषक

3.2.1 लिंगानुपात

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों का लिंगानुपात विवरण दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 94 प्रतिशत गैर बीमित कृषक पुरूष वर्ग से एवं 6 प्रतिशत महिला वर्ग से है। पुरूष वर्ग के गैर बीमित कृषकों की संख्या अधिक है।

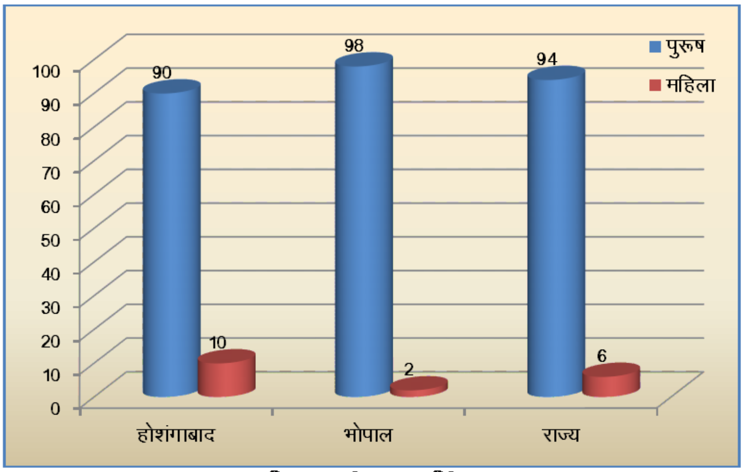

बार चित्रण क्रमांक–3.2.1 लिंगानुपात

3.2.2 जातीय वर्गीकरण

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों के जातीय वर्गीकरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 61 प्रतिशत गैर बीमित कृषक पिछड़ा वर्ग, 13 प्रतिशत सामान्य, 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग से है। होशंगाबाद में 54 प्रतिशत गैर बीमित कृषक पिछड़ा वर्ग, 10 प्रतिशत सामान्य, 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं भोपाल में 67 प्रतिशत बीमित कृषक पिछड़ा वर्ग, 15 प्रतिशत सामान्य, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग से है।

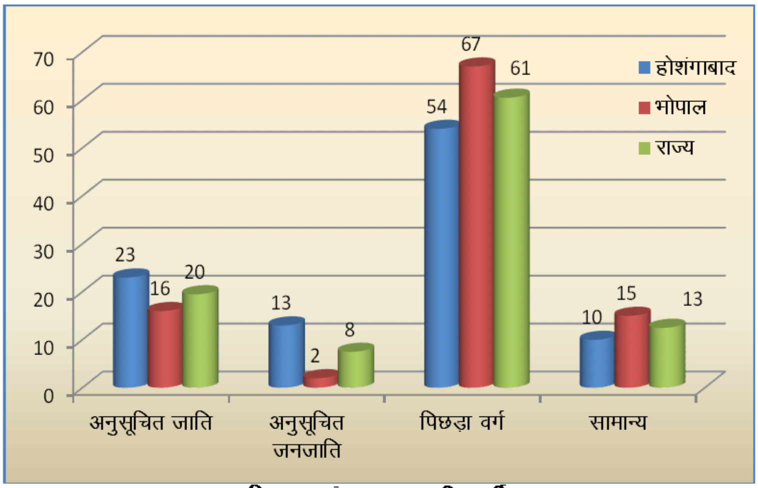

बार चित्रण क्रमांक–3.2.2 जातीय वर्गीकरण

3.2.3 आर्थिक वर्गीकरण

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों के आर्थिक वर्गीकरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 37 प्रतिशत गैर बीमित कृषक बी.पी.एल. एवं 64 प्रतिशत ए.पी.एल. श्रेणी से है। जिलों को पृथक रूप से देखने से प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 45 प्रतिशत

गैर बीमित कृषक बी.पी.एल. एवं 55 प्रतिशत ए.पी.एल. श्रेणी से है। भोपाल जिले में 28 प्रतिशत गैर बीमित कृषक बी.पी.एल. एवं 72 प्रतिशत ए.पी.एल. श्रेणी से है।

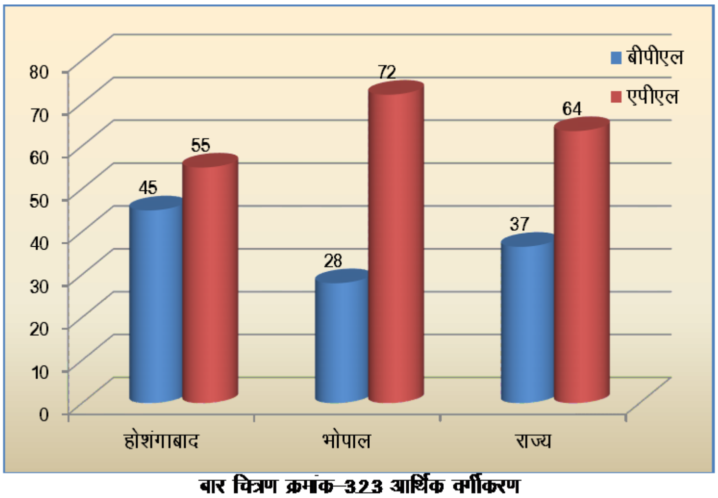

बार चित्रण क्रमांक–3.23 आर्थिक वर्गीकरण

3.2.4 साक्षरता स्तर

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों के साक्षरता स्तर को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 74 प्रतिशत गैर बीमित कृषक शिक्षित एवं 26 प्रतिशत अशिक्षित है। जिलों को पृथक रूप से देखने से प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 61 प्रतिशत गैर बीमित कृषक शिक्षित एवं 39 प्रतिशत अशिक्षित तथा भोपाल जिले में 87 प्रतिशत गैर बीमित कृषक शिक्षित एवं 13 प्रतिशत अशिक्षित है।

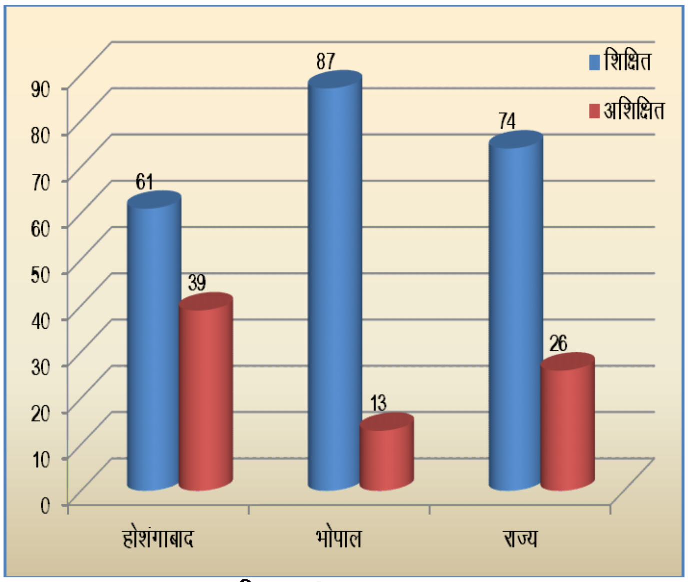

बार चित्रण क्रमांक–3.24 साक्षरता स्तर

3.2.5 आय के साधन

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों के विभिन्न आय के साधनों को दर्शाया गया है। दोनों जिलों में सम्मिलित रूप से कृषि शत्–प्रतिशत गैर बीमित कृषकों की आय का प्रमुख साधन है। गैर बीमित कृषकों में नौकरीपेशा एवं स्वरोजगार कृषकों की संख्या नगण्य है।

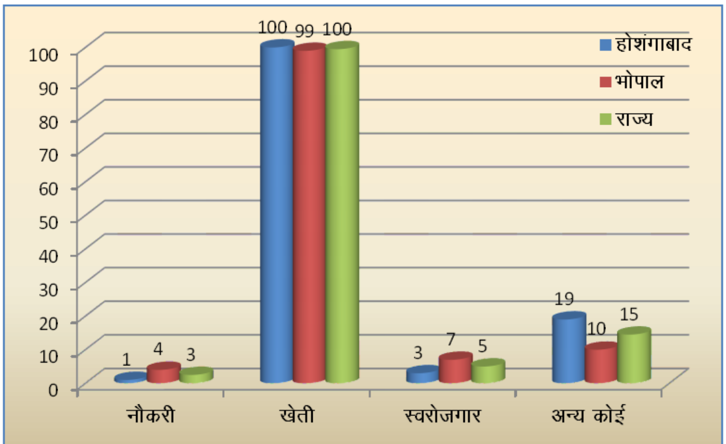

बार चित्रण क्रमांक–3.25 आय के साधन

3.2.6 कृषक श्रेणी

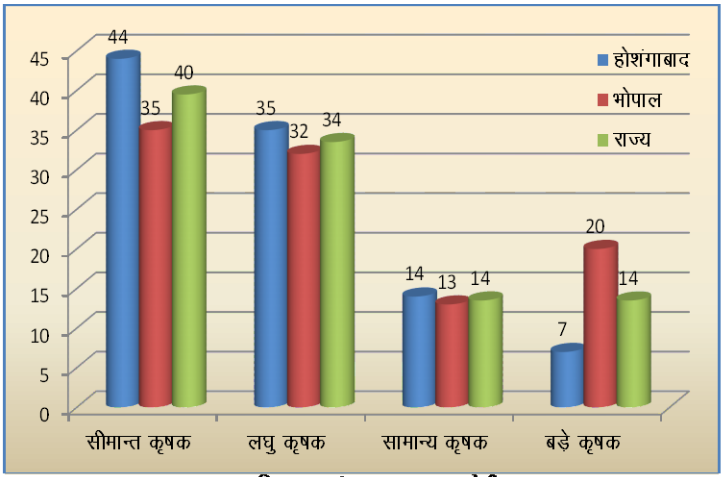

बार चित्रण क्रमांक–3.26 कृषक श्रेणी

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों के जोत के आकार के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से 14 प्रतिशत क्रमशः बड़े कृषक (10 एकड़ से अधिक) एवं सामान्य कृषक (5 से 10 एकड़ तक), 34 प्रतिशत लघु कृषक (2.5 से 5 एकड़ तक) तथा 40 प्रतिशत सीमांत कृषक (2.5 एकड़ तक) है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 7 प्रतिशत बड़े कृषक, 14 प्रशित सामान्य कृषक, 35 प्रतिशत लघु कृषक तथा 44 प्रतिशत सीमांत कृषक एवं भोपाल जिले में 20 प्रतिशत बड़े कृषक, 13 प्रतिशत सामान्य कृषक, 32 प्रतिशत लघु कृषक तथा 35 प्रतिशत सीमांत कृषक है।

3.2.7 परिवार की औसत वार्षिक आय

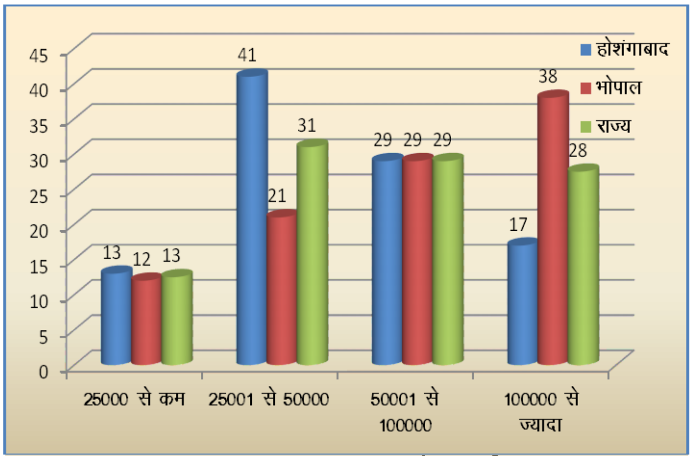

बार चित्रण क्रमांक–3.27 बीमित परिवारें की वार्षिक आय

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 28 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 1.0 लाख से ज्यादा, 29 प्रतिशत परिवार रूपये 50 हजार से 1 लाख के मध्य, 31 प्रतिशत रूपये 25 हजार से 50 हजार तथा 13 प्रतिशत परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 25 हजार से कम है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 29 प्रतिशत परिवार रूपये 50 हजार से 1 लाख के मध्य तथा 41 प्रतिशत रूपये 25 हजार से 50 हजार एवं भोपाल जिले में 38 प्रतिशत गैर बीमित

कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 1.0 लाख से ज्यादा तथा 29 प्रतिशत परिवार रूपये 50 हजार से 1 लाख के मध्य है।

3.2.8 विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान स्थिति

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में उनकी फसलों को किसी प्रकार के नुकसान की स्थिति को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से 83 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में उनकी फसलों को किसी प्रकार के नुकसान होना दर्शाया गया है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 72 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा एवं भोपाल जिले में 95 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में उनकी फसलों को किसी प्रकार के नुकसान होना दर्शाया गया है।

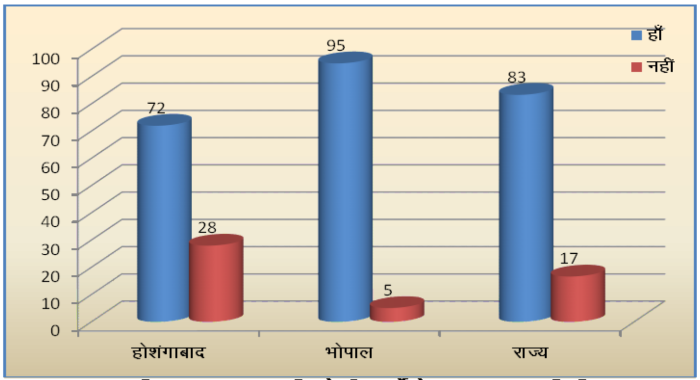

बार चित्रण क्रमांक–3.28 पिछले तीन वर्षो में फसल नुकसान स्थिति

3.2.9 राहत सहायता हेतु ऐजेंसी

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा फसल हानि के मामले में राहत सहायता के लिए ऐजेंसी की पंसद को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 33 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा साहूकार से उधार, 34 प्रतिशत द्वारा बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत द्वारा दोस्तों और रिश्तेदारों से राहत सहायता प्राप्त करने हेतु उचित ऐजेंसी के रूप में अपनी पंसद दर्शाई है। होशंगाबाद जिले में 34 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा साहूकार से उधार तथा 39 प्रतिशत द्वारा बैंक ऋण एवं भोपाल में 32 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा साहूकार से उधार, 28 प्रतिशत द्वारा बैंक ऋण तथा 43 प्रतिशत द्वारा दोस्तों और रिश्तेदारों से राहत सहायता प्राप्त करने हेतु उचित ऐजेंसी के रूप में अपनी पंसद दर्शाई गई है।

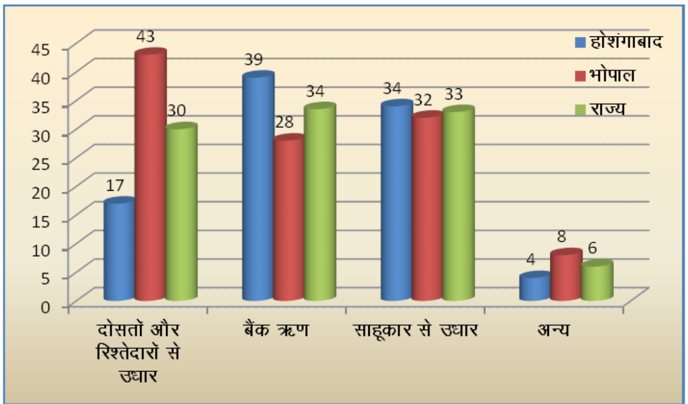

बार चित्रण क्रमांक–3.29 राहत सहायता हेतु ऐजेंसी

3.2.10 योजना जानकारी की स्थिति

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी होने की स्थिति को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 76 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी नहीं होना दर्शाया है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 78 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा एवं भोपाल जिले में 73 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी नहीं होना दर्शाया है।

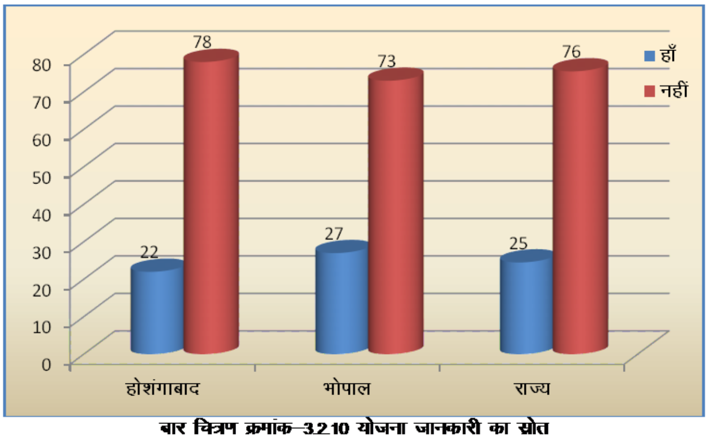

बार चित्रण क्रमांक–3.2.10 योजना जानकारी का स्रोत

3.2.11 योजना जानकारी का स्रोत

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी प्राप्त होने के विभिन्न स्रोतों को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर 12 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों को कृषि विभाग/ग्राम सेवक, 10 प्रतिशत को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, 8 प्रतिशत को सचिव/पटवारी/सरपंच द्वारा, 7 प्रतिशत को वित्तीय संस्था तथा 4 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों को अपने ग्रामीण साथियों के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की

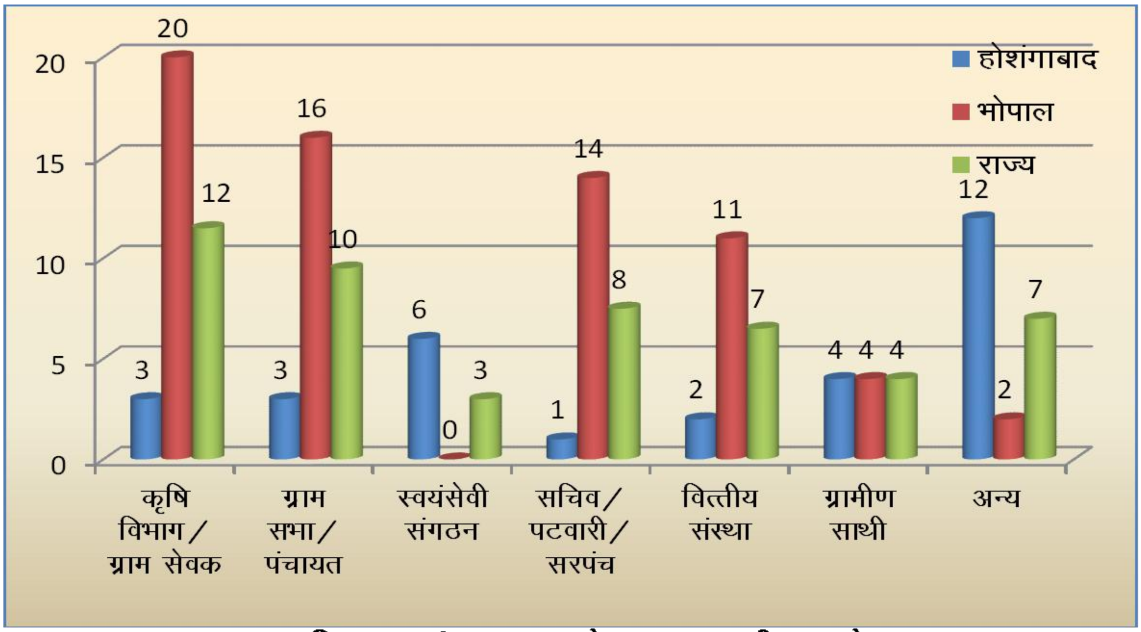

बार चित्रण क्रमांक–3.2.11 योजना जानकारी का स्रोत

जानकारी प्राप्त हुई।

जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 3 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों को क्रमशः कृषि विभाग/ग्राम सेवक तथा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, 6 प्रतिशत को स्वयंसेवी संगठन तथा 4 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों को अपने ग्रामीण साथियों के द्वारा एवं भोपाल जिले में 20 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों को कृषि विभाग/ग्राम सेवक, 16 प्रतिशत को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, 14 प्रतिशत को सचिव/पटवारी/सरपंच, 11 प्रतिशत को वित्तीय संस्था तथा 4 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों को अपने ग्रामीण साथियों के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी प्राप्त हुई।

3.2.12 कृषि बीमा नहीं लेने के कारण

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत कृषि बीमा की जानकारी होने के बावजूद कृषि बीमा नहीं लेने के विभिन्न कारणों को दर्शाया गया है। दोनों जिलों में राज्य स्तर पर 18 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा कठिन दस्तावेजीकरण, 11 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण से असंतुष्टि, 13 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा दावा भुगतान में विलम्ब एवं 10 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति की स्तर से असंतुष्टि को प्रमुख कारण दर्शाया है।

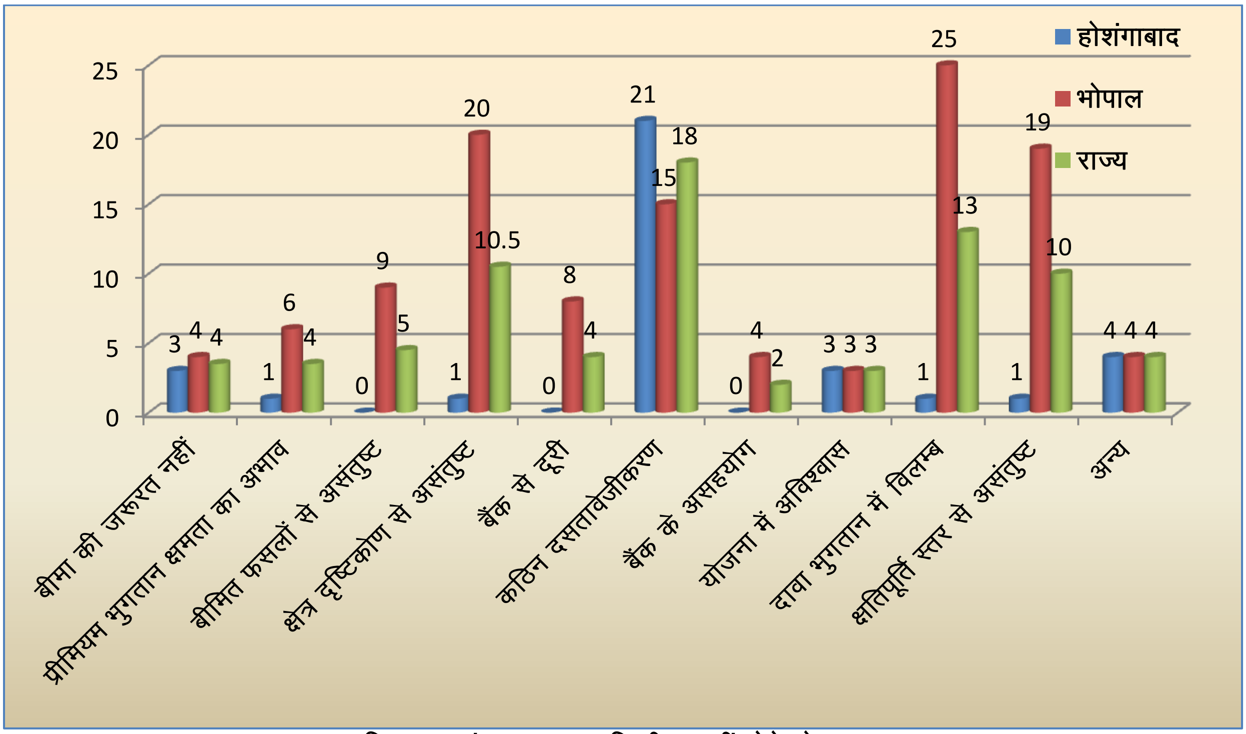

बार चित्रण क्रमांक–3.2.12 कृषि बीमा नहीं लेने के कारण

जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद में 21 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा कठिन दस्तावेजीकरण एवं भोपाल में 15 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा कठिन दस्तावेजीकरण, 20 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण से असंतुष्टि, 25 प्रतिशत द्वारा दावा भुगतान में विलम्ब, 9 प्रतिशत द्वारा बीमित फसलों से असंतुष्टि एवं 19 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा क्षतिपूर्ति की स्तर से असंतुष्टि को प्रमुख कारण दर्शाया है

3.2.13 योजना सुधार हेतु सुझाव

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सुधार हेतु विभिन्न सुझावों को दर्शाया गया है। परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि राज्य स्तर पर योजना सुधार हेतु सुझाव अंतर्गत 25 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, 29 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना, 27 प्रतिशत द्वारा योजना स्वैच्छिक बनाना एवं 37 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा बीमा दावों के त्वरित निपटान को योजना सुधार का एक कारक बताया गया है।

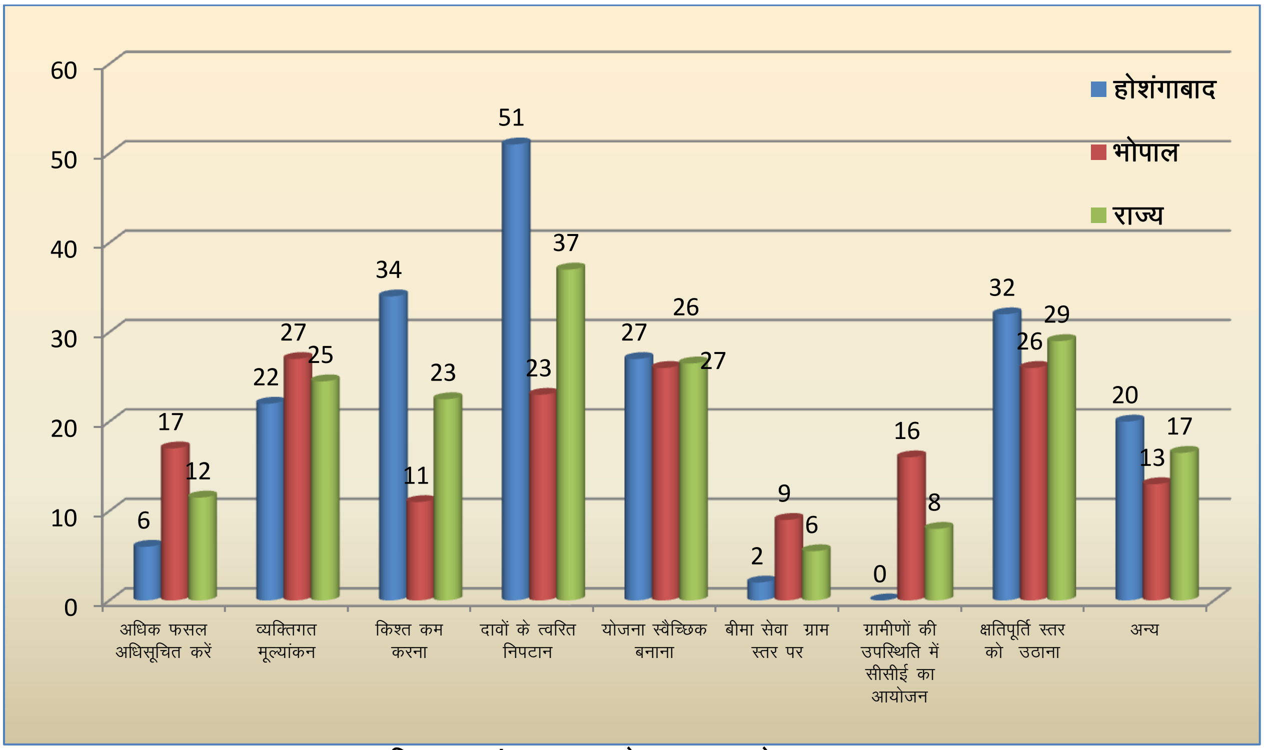

बार चित्रण क्रमांक–3.2.13 योजना सुधार हेतु सुझाव

होशंगाबाद में 22 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, 32 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना, 34 प्रतिशत द्वारा बीमा किस्तों को कम करना एवं 51 प्रतिशत द्वारा बीमा दावों के त्वरित निपटान एवं भोपाल में 17 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा अधिक फसलों को अधिसूचित करना, 27 प्रतिशत द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, 26 प्रतिशत द्वारा क्रमशः क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना एवं योजना स्वैच्छिक बनाने हेतु योजना सुधार का एक कारक बताया गया है।

3.2.14 फसल बीमा स्थिति

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा विगत वर्षो में उनकी फसल का बीमा कराए जाने की स्थिति को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से 82 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कभी नहीं कराया गया है।

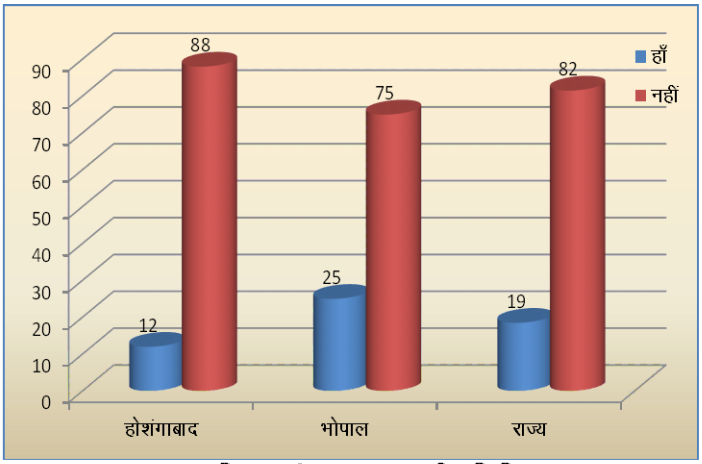

बार चित्रण क्रमांक–3.2.14 फसल बीमा स्थिति

3.2.15 योजनाओं की जानकारी हेतु उचित माध्यम

प्रस्तुत बार चित्रण में गैर बीमित कृषकों द्वारा शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित माध्यम के विवरण को दर्शाया गया है। राज्य स्तर पर सम्मिलित रूप से 52 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा किसान सभाओं, 59 प्रतिशत द्वारा विभिन्न जन संचार माध्यमों जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि, 39 प्रतिशत द्वारा समाचार पत्र एवं 38 प्रतिशत द्वारा ग्राम मेले के आयोजन द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्ति हेतु उचित माध्यम दर्शाया है। जिलों को पृथक रूप से देखने पर प्रतीत होता है कि होशंगाबाद जिले में 33 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा किसान सभाओं, 46 प्रतिशत द्वारा विभिन्न जन संचार माध्यमों जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि एवं 28 प्रतिशत द्वारा ग्राम मेले को एवं भोपाल जिले में 71 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा क्रमशः किसान सभाओं एवं विभिन्न जन संचार माध्यमों जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि, 59 प्रतिशत द्वारा समाचार पत्र

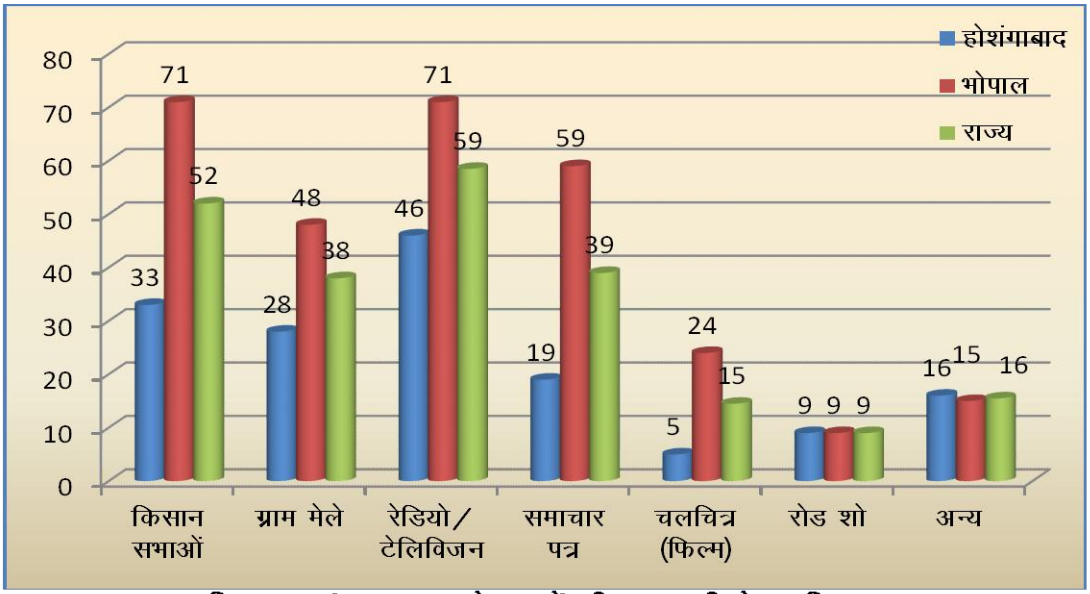

बार चित्रण क्रमांक–3.2.15 योजनाओं की जानकारी हेतु उचित माध्यम

एवं 48 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा ग्राम मेले के आयोजन को शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्ति हेतु उचित माध्यम दर्शाया है।

अध्याय–4

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर योजना के विभिन्न पहलूओं पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ निष्कर्षों के अनुरूप अनुशंसाएं दी गई है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा योजना की पहुँच को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये गये है। अध्ययन हेतु लिये गये विभिन्न चरो के लिये निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं निम्नानुसार है।

4.1 उत्तरदाताओं की परिस्थितियां

निष्कर्ष

4.1.1 सामाजिक परिदृश्य

- पुरूष वर्ग के बीमित कृषकों की संख्या अधिक (96 प्रतिशत) है तथा लाभान्वित बीमित कृषकों में पिछड़ा वर्ग (54 प्रतिशत) एवं सामान्य श्रेणी (31 प्रतिशत) के कृषकों की संख्या तुलनात्मक रूप में अन्य वर्गो से अधिक है। बीमित कृषकों में अनुसूचित जाति (11 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग (5 प्रतिशत) के कृषकों की संख्या कम है।
- लाभान्वित बीमित कृषकों में अधिकतर साक्षर हैं। शिक्षित कृषकों द्वारा योजना का लाभ लिया जा रहा है। गैर बीमित कृषकों में साक्षरता का स्तर 74 प्रतिशत अच्छा है।
- गैर बीमित कृषकों में पुरूष वर्ग की संख्या अधिक (94 प्रतिशत) है। गैर बीमित कृषक भी उक्त मानकों पर परिस्थितियां लगभग बीमित कृषकों जैसी ही हैं।
- गैर बीमित कृषकों में सामान्य वर्ग (13 प्रतिशत) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग (8 प्रतिशत) की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

4.1.2 आर्थिक परिदृश्य

- बीमित कृषकों में अधिकतर (70 प्रतिशत) ए.पी.एल. श्रेणी के पाए गए जिनमें 34 प्रतिशत सामान्यः बड़े कृषक (10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि), 34 प्रतिशत सामान्य

कृषक (5 से 10 एकड़ तक कृषि भूमि), 9 प्रतिशत सीमांत कृषकों (2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि) हैं। बीमित कृषकों में 51 प्रतिशत कृषकों के परिवार की औसत वार्षिक आय रूपये 1.0 लाख से ज्यादा पाई गई।

अनुशंसा

- महिला कृषकों में तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में योजना की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिससे इन वर्गो तक योजना की पहुंच बढ़ाई जा सके इस हेतु योजनांतर्गत इन वर्गो के लिए भी प्रीमियम अनुदान का प्रावधान किया जा सकता हैं।
- वर्तमान में योजना की परिधि में अधिकतर बड़े एवं सामान्यः कृषक हैं। अतः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों तक योजना की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा लघु/सीमांत कृषकों को योजना का लाभ दिलाने हेतु क्रमबद्ध एवं व्यावहारिक कार्य योजना बनाई जाने की आवश्यकता है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों में योजना की पहुंच को और बढ़ाने की आवश्यकता है। फसल हानि के निर्धारण के लिये खातेदार की श्रेणी निर्धारित कर सहायता दर लागू किए जाने की आवश्यकता है।

4.2 योजना के प्रति जागरूकता का स्तर

निष्कर्ष

- बीमित कृषकों को योजना की जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे वित्तीय संस्थाओं, कृषि विभाग/ग्राम सेवक, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, स्वयं सेवी संगठन, सचिव/पटवारी एवं अपने ग्रामीण साथी द्वारा प्राप्त हुई है जबकि गैर बीमित कृषकों को योजना की जानकारी का स्रोत कृषि विभाग/ग्राम सेवक, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, सचिव/पटवारी, वित्तीय संस्था एवं ग्रामीण साथी हैं। इस दिशा में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका प्रमुख है।
- बीमित कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लेने हेतु मुख्यतः वित्तीय संस्थाओं ने प्रेरित किया साथ ही साथ कृषि विभाग/ग्राम सेवक, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, स्वयं सेवी संगठन, सचिव/पटवारी एवं ग्रामीण साथियों द्वारा भी प्रेरित किया।

- अधिकतर गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जानकारी का नहीं होना बताया गया और लगभग 82 प्रतिशत गैर बीमित कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कभी नहीं कराया गया।

अनुशंसा

- योजना की जानकारी के प्रसार हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया है जबकि अन्य घटकों उदाहरणतः पंचायत के कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मचारी एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किये गये प्रयास उल्लेखनीय नही रहे हैं अतः इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इन घटकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों में तीव्रता लाई जाये जिससे योजना का प्रचार–प्रसार और प्रभावी हो सके।
- अध्ययन परिणामों से प्रतीत होता है कि वर्तमान मे योजना के क्रियान्वयन मे लगे विभिन्न हितग्राहियों का ध्यान बीमित कृषकों पर केन्द्रित है। इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि गैर बीमित कृषकों को भी योजना की परिधि मे लाया जाये जिससे उक्त योजना की पहुंच अधिक से अधिक कृषकों तक हो सके।

4.3 योजना क्रियान्वयन की स्थिति

4.3.1 कृषकों द्वारा लिए गए ऋण की स्थिति

निष्कर्ष

- 61 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो में कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लिया तथा 82 प्रतिशत बीमित कृषकों को विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान हुआ है। गैर बीमित कृषकों को भी विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान हुआ है।
- होशंगाबाद जिले में बीमाधारी कृषकों की संख्या भोपाल जिले की तुलना में अधिक है एवं दोनो जिले में विगत तीन वर्षो में बीमाधारी कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अनुशंसा

- अध्ययन के परिणाम दर्शाते है कि कृषकों के मध्य ऋण लेने का चलन व्याप्त है साथ ही साथ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उनकी फसलों को विगत वर्षों में

नुकसान भी हुआ है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विभाग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस दिशा में कृषकों के साथ निरंतर कार्य किया जाये जिससे उनकी कृषि संबंधी समझ एवं क्षमताओं को विकसित किया जा सके जिससे उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान से बचने के प्रयास किये जा सके।

- विगत वर्षों में योजनांतर्गत बीमित कृषकों में हुई वृद्धि इस बात की ओर संकेत करती है कि कृषकों के मध्य कृषि बीमा योजना का महत्व बढ़ा है परंतु अभी भी कृषकों का बड़ा भाग कृषि बीमा से छुटा हुआ है जबकि गैर बीमित कृषकों के फसल नुकसान का परिदृश्य लगभग बीमित कृषकों जैसा ही है अतः गैर बीमित कृषकों को भी कृषि बीमा योजना अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

4.3.2 योजना से वित्तीय संस्थाओं का जुड़ाव

निष्कर्ष

- बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाओं में राष्ट्रीकृत बैंक (52 प्रतिशत) एवं सहकारी बैंक (42 प्रतिशत) की भागीदारी अच्छी है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं उसकी शाखाओं की पहुंच बहुत कम (7 प्रतिशत) है।
- गैर बीमित कृषक फसल हानि के मामले में राहत सहायता के लिए साहूकार से उधार (33 प्रतिशत), बैंक ऋण (34 प्रतिशत) तथा दोस्तों और रिश्तेदारों (30 प्रतिशत) पर निर्भर पाए गए।

अनुशंसा

- परिणामों से स्पष्ट होता है कि उक्त योजना में वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः राष्ट्रीकृत एवं सहकारी बैंको की भागीदारी प्रभावी एवं उल्लेखनीय है। बीमित कृषकों को भी योजना से जुड़े विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की जानकारी है परंतु कृषकों की इन तक पहुंच बहुत सहज नही है। विभाग द्वारा कृषकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य एक स्पष्ट कार्यात्मक संबंध स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस बात की भी आवश्यकता है कि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरो पर व्याप्त सीमाओं एवं कठिनाईयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाये तथा इसे सुचारू रखने हेतु त्वरित प्रयास किये जाए।

- वर्तमान में प्रदेश में योजना क्रियान्वयन में एक ही ऐजेंसी नामांकित है। बीमा व्यवसाय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है वे कम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि एवं अन्य सुविधाएं देने की बात कहती है। अतः निजी बीमा कंपनियों को भी फसल बीमा योजना क्रियान्वयन ऐजेंसी के रूप में नामांकित करने की आवश्यकता है।
- विभाग द्वारा गैर बीमित कृषकों को न केवल योजना की परिधि मे लाने की आवश्यकता है अपितु विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा उनके प्रति ऋण संबंधी शोषण को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है।

4.3.3 उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग

निष्कर्ष

- लगभग 70 प्रतिशत बीमित कृषकों द्वारा कृषि बीमा कराने के उपरांत कृषि के प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त बीमित कृषकों द्वारा उत्तम उर्वरक, कृषि यंत्रों, उच्च उपज बीजों, जैविक खेती एवं संकर प्रजाति के बीजों जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया।

अनुशंसा

- योजना के सफल क्रियान्वयन एवं इसे प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि योजना से जुड़े अन्य प्रावधानों को भी अमल मे लाया जाये। 30 प्रतिशत कृषकों द्वारा अभी भी कृषि के प्रगतिशील तरीकों, उच्च मूल्यों आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग न किया जाना योजना के सफल क्रियान्वयन में बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस बाबत् विभिन्न कारणों का पता लगाकर उन पर उचित कार्य किया जाये जिससे योजना के अंतर्गत समस्त कृषकों को समान रूप से लाभ मिल सके।
- बीमित कृषकों द्वारा कृषि में प्रगतिशील तरीको उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है परंतु बीमित कृषकों के द्वारा उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है कि इन

पहलूओ पर योजना प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर अधिक से अधिक कृषकों को आकर्षित किया जाये ताकि उनके कृषि व्यवहार मे अपेक्षित बदलाव लाया जा सके तथा उन्हे प्राकृतिक आपदाओं के समय फसल नुकसान से बचाव हेतु क्षमता वृद्धि की जा सके।

4.4 योजना क्रियान्वयन में कठिनाईयॉ

निष्कर्ष

- लाभार्थियों ने योजना के क्रियान्वयन में ऋण लेने की प्रक्रियां में जटिलता, आवेदन पत्र की शर्तो के अनुसार सूचनाओं एवं दस्तावेजों का एकत्रिकरण, आवेदन पत्र को भरने में कठिनाईयां एवं बैंक कर्मचारी द्वारा प्रस्तावों को तब्ज्जों नही देने जैसी समस्या बताई है तथा कृषकों को हुये नुकसान के आंकलन की इकाई, दावों के निराकरण प्रक्रिया की जटिलता, अधिसूचित फसलों एवं क्षतिपूर्ति स्तर जैसे योजना के प्रावधानो से असंतुष्टि दर्शायी है।
- गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत कृषि बीमा की जानकारी होने के बावजूद कृषि बीमा नहीं लेने में कठिन दस्तावेजीकरण, क्षेत्र दृष्टिकोण से असंतुष्टि, दावा भुगतान में विलम्ब एवं क्षतिपूर्ति की स्तर से असंतुष्टि को प्रमुख कारण दर्शाया है।
- यद्यपि लगभग 50 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि बीमा प्रदाय करने में कोई कठिनाई न होना दर्शाया गया फिर भी बीमा प्रदाय कठिनाई में वित्तीय संस्थाओं को बीमा राशि प्राप्त न होना प्रमुख कारण दर्शाया गया। बीमा राशि भुगतान में विलम्ब एवं कृषकों को बीमा जानकारी न होना एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन न होना अन्य कारणो में बताया गया।

अनुशंसा

- अध्ययन के परिणामों से प्रतीत होता है कि बीमित कृषको एवं वित्तीय संस्थाओं ने अपने–अपने स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न कठिनाईयों का उल्लेख किया है जिनका त्वरित निस्तारण आवश्यक है। अतः विभाग को इन

समस्याओं से निपटने हेतु विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग प्रयास करने की आवश्यकता है।

- ऐसा प्रतीत होता है कि कृषकों के स्तर पर अधिकतर कठिनाईयां योजना के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है जिनका सीधा असर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभाव से है। अतः विभाग द्वारा योजना के विभिन्न चरणो मुख्यतः क्रियात्मक चरण को ओर सहज एवं सरल बनाने की आवश्यकता है।
- आयुक्त भू–अभिलेख की जानकारी बीमा कंपनी को जल्द उपलब्ध कराने की व्यवस्था कायम करने की भी आवश्यकता है ताकि किसानों को क्षति के आंकलन के साथ ही राहत राशि प्रदाय की जा सके।
- वित्तीय संस्थाओं को योजना के महत्व एवं स्थानीय स्तर पर व्याप्त कृषकों की वास्तविकताओं को अवगत कराने की आवश्यकता है, इस हेतु विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर कृषकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य अंतराफलक (इन्टरफेस) बैठके कराने की आवश्यकता है तथा वित्तीय संस्थाओं की योजना के प्रति रूचि को बनाये रखने हेतु विभाग को विभिन्न प्रेरणात्मक करणो को ढूंढ कर उन पर अपेक्षित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- बीमा कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविकताओं को समझकर बीमा दस्तावेजों का सरलीकरण कर अपने नियमों में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है। घोषणा पत्र को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- बीमित कृषकों के वित्तीय संस्थाओं के साथ हो रहे अनुभवों की समीक्षा कर उन्हे और सरल एवं कार्यात्मक बनाने के प्रयास किये जाने चाहिए। विभिन्न किसान संगठनों एवं उन्नत कृषकों से सलाह लेकर भी नीति निर्धारित की जा सकती है।

4.5 योजना सुधार हेतु सुझाव

निष्कर्ष

- योजना सुधार हेतु सुझाव के अंतर्गत अधिकतर बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन (75 प्रतिशत), क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना (73 प्रतिशत), बीमा दावों के त्वरित निपटान (67 प्रतिशत), योजना स्वैच्छिक

बनाना (62 प्रतिशत) एवं अधिक फसलों को अधिसूचित करना (58 प्रतिशत) बताया गया।

- गैर बीमित कृषकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सुधार हेतु विभिन्न सुझावों में व्यक्तिगत मूल्यांकन (25 प्रतिशत), क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना (29 प्रतिशत), योजना स्वैच्छिक बनाना (27 प्रतिशत) एवं बीमा दावों के त्वरित निपटान (37 प्रतिशत) इत्यादि बताया गया है।
- योजना में सुधार हेतु विभिन्न सुझावों में योजना को स्वैच्छिक बनाये जाने, अधिक फसलों को अधिसूचित करने एवं क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाये जाने पर सहमति दर्शाई है।

अनुशंसा

- वर्तमान में योजना के प्रवधानों के अनुसार ऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराना अनिवार्य रखा गया है जबकि ऋणी कृषक भी बीमा कराए जाने की शर्त की अनिवार्यता को हटाये जाने के पक्षधर है। 80 प्रतिशत कृषकों के अनुसार बीमा का प्रावधान स्वैच्छिक होना चाहिए। अतः इस बात का गहराई से ऑकलन करने की आवश्यकता है कि कृषकों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता एवं महत्व स्थापित क्यो नहीं हो पा रहा है। जबकि फसल बीमा के द्वारा कृषक अधिक सुरक्षित हो सकते है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि बीमा क्षतिपूर्ति हेतु 60 प्रतिशत के स्तर को लेकर कृषक बहुत सहज नहीं है। कृषकों के अनुसार क्षतिपूर्ति के स्तर को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80–90 प्रतिशत तक करना चाहिए। अतः विभाग को वर्तमान क्षतिपूर्ति के प्रावधान को कृषकों की मॉगों के सापेक्ष ऑकलन कर उचित स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने हेतु तहसील/पटवारी हल्के को इकाई के रूप में लिया जाता है जो स्थानीय विविधताओं को देखते हुए बहुत प्रभावी नहीं माना जा सकता अतः इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र ऑकलन हेतु मानी गई इकाई को और छोटे स्तर उदाहरणतः ग्राम स्तर अथवा व्यक्तिगत स्तर तक लाए जाने की सम्भावनाएं तलाश की जायें।

- कृषकों के बीमा दावे तैयार करने एवं फसल कटाई प्रयोग में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के सेवानिवृत कर्मचारियों की मदद ली जा सकती है।
- कृषकों द्वारा योजना को बेहतर बनाए जाने हेतु दिये गये सुझावों जैसे कृषि विभाग द्वारा बैंकों को समय–समय पर सहयोग प्रदान, फसल के नुकसान में व्यक्तिगत मूल्यांकन, बीमा प्रक्रियां को सरल कर दावा निराकरण शीघ्र करना, क्षतिपूर्ति की जॉच की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना, फसल नुकसान मापने की प्रक्रियां की जटिलता एवं तहसील स्तर पर कमेटी बनाकर उसका निराकरण, योजना की संपूर्ण जानकारी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर तहसील में उपलब्ध कराना इत्यादि की व्यवहारिकता का विश्लेषण कर उनको लागू करने हेतु उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- पाले एवं अफलन (फसल में फली का न बनना) से फसलों को हुए नुकसान को भी प्रकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने एवं कृषकों को आकस्मिक विपदाओं से बचाने हेतु किसान कोष की स्थापना किए जाने की भी आवश्यकता है।

4.6 योजना के प्रसार–प्रचार के माध्यम

निष्कर्ष

- शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार के माध्यम अंतर्गत बीमित कृषकों द्वारा जन संचार माध्यम जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि (82 प्रतिशत), किसान सभाओं (53 प्रतिशत) एवं समाचार पत्र (52 प्रतिशत) को प्रचार–प्रसार का उचित माध्यम बताया गया है।
- गैर बीमित कृषकों द्वारा शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान सभाओं (52 प्रतिशत), विभिन्न जन संचार माध्यमों जैसे रेडियों, टेलीविजन आदि (59 प्रतिशत), समाचार पत्र (39 प्रतिशत), ग्राम मेले के आयोजन (38 प्रतिशत) इत्यादि को उचित माध्यम दर्शाया है।
- योजना के प्रचार–प्रसार के लिए बैंक द्वारा सुझाएं गए विभिन्न उपायों में जनसंचार माध्यमों जैसें पोस्टर, बैनर, समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविजन आदि (65 प्रतिशत) किसान मेलों/हाट बाजारों/मंडियों में बीमा कैम्प आयोजित कर (35 प्रतिशत) एवं

ग्राम संभाओं/किसान सभाओं (50 प्रतिशत), बीमा कंपनी द्वारा प्रचार सामग्री के प्रकाशन कर उचित वितरण (13 प्रतिशत) इत्यादि को दर्शाया गया है।

अनुशंसा

- योजना के प्रचार–प्रसार हेतु जन संचार के माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियों, पोस्टर, पम्पलेट, समाचार पत्र इत्यादि उल्लेखनीय रूप से कृषको द्वारा प्रभावी माने गये हैं। अतः विभाग को योजना को व्यापक बनाने के लिए स्थानीय परिवेशों में उपलब्ध जन संचार माध्यमों का प्रयोग करना उचित प्रतीत होता है।
- मेलों/हाट बाजारों/मंडियों में बीमा कैम्पों का आयोजन भी योजना के महत्व एवं उपयोगिता को स्थापित करने हेतु एक उचित माध्यम हो सकता है। अतः विभाग द्वारा इन अवसरों का लाभ उठाकर बीमित कृषकों एवं गैर बीमित कृषकों तक अपनी निरन्तरता बनाए रखने चाहिए।
- ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों को योजना से जोड़कर योजना को स्थानीय मान्यता दी जा सकती है। अतः विभाग द्वारा इन चयनित प्रतिनिधियों को योजना के क्रियान्वयन में सद्भावना राजदूत के रूप में जोडने पर विचार किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट–I

अध्ययन से संबंधित परिणाम तालिकाएं

भाग–एक: ऋणी/गैर ऋणी बीमित कृषक

तालिका क्रमांक–3.1.1 लिंगानुपात

लिंग	पुरूष	महिला
होशंगाबाद	93	7
भोपाल	99	1
राज्य	96	4

तालिका क्रमांक–3.1.2 जातीय वर्गीकरण

जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य
होशंगाबाद	11	9	48	32
भोपाल	10	0	60	30
राज्य	11	5	53	31

तालिका क्रमांक–3.1.3 आर्थिक वर्गीकरण

क्षेणी	बीपीएल	एपीएल
होशंगाबाद	28	72
भोपाल	16	84
राज्य	22	78

तालिका क्रमांक–3.1.4 साक्षरता स्तर

स्तर	शिक्षित	अशिक्षित
होशंगाबाद	76	24
भोपाल	89	11
राज्य	84	18

तालिका क्रमांक–3.1.5 आय के साधन

साधन	नौकरी	खेती	स्वरोजगार	अन्य कोई
होशंगाबाद	1	99	0	11
भोपाल	6	99	6	2
राज्य	4	99	3	7

तालिका क्रमांक–3.1.6 कृषक श्रेणी

श्रेणी	सीमान्त कृषक	लघु कृषक	सामान्य कृषक	बड़े कृषक
होशंगाबाद	6	21	35	38
भोपाल	12	30	29	29
राज्य	9	26	31	34

तालिका क्रमांक–3.1.7 बीमा प्रदाता वित्तीय संस्था

संस्था	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक
होशंगाबाद	14	11	75
भोपाल	69	3	28
राज्य	41	7	52

तालिका क्रमांक–3.1.8 परिवार की औसत वार्षिक आय (रू.)

वार्षिक आय	25000 से कम	25001 से 50000	50001 से 100000	100000 से ज्यादा
होशंगाबाद	3	12	51	34
भोपाल	5	14	13	68
राज्य	4	13	32	51

तालिका क्रमांक–3.1.9 ऋण स्थिति

स्थिति	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	91	9
भोपाल	30	70
राज्य	61	39

तालिका क्रमांक–3.1.10 विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान की स्थिति

नुकसान स्थिति	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	75	25
भोपाल	89	11
राज्य	82	18

तालिका क्रमांक–3.1.11 उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग की स्थिति

स्थिति	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	93	7
भोपाल	47	53
राज्य	70	30

तालिका क्रमांक–3.1.12 उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग

उन्नत कृषि तकनीकों	संकर प्रजाति के बीज	उच्च उपज बीज का उपयोग	उत्तम उर्वरक का उपयोग	जैविक खेती का उपयोग	मिट्टी परीक्षण	कृषि यंत्रों का उपयोग	अन्य
होशंगाबाद	48	99	99	79	21	95	20
भोपाल	32	21	36	15	18	41	0
राज्य	40	60	67	47	19	68	10

तालिका क्रमांक–3.1.13 योजना जानकारी का स्रोत

स्रोत्र	कृषि विभाग/ ग्राम सेवक	ग्राम सभा/ पंचायत	स्वयंसेवी संगठन	सचिव/ पटवारी/ सरपंच	बैंक/ वित्तीय संस्था	ग्रामीण साथी	बीमा कम्पनी	अन्य
होशंगाबाद	6	6	20	5	28	28	1	28
भोपाल	30	15	2	13	70	11	1	35
राज्य	18	11	11	9	49	19	1	32

तालिका क्रमांक–3.1.14 योजना के प्रेरणा स्रोत

स्रोत	कृषि विभाग/ ग्राम सेवक	ग्राम सभा/ पंचायत	स्वयंसेवी संगठन	सचिव/ पटवारी/ सरपंच	बैंक/ वित्तीय संस्था	ग्रामीण साथी	अन्य
होशंगाबाद	5	6	20	5	30	28	14
भोपाल	25	15	3	11	78	28	4
राज्य	15	10	11	8	54	28	9

तालिका क्रमांक–3.1.15 योजना जुड़ाव हेतु जानकारी एवं मदद

जानकारी एवं मदद	योजना के बारे में जानकारी	प्रस्ताव बनाने में मदद	बैंक से ऋण लेने में मदद	अन्य
होशंगाबाद	24	14	38	29
भोपाल	23	31	86	4
राज्य	24	23	62	17

तालिका क्रमांक–3.1.16 योजना प्रक्रियाओं की जानकारी

जानकारी	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	58	42
भोपाल	22	78
राज्य	40	60

तालिका क्रमांक–3.1.17 योजना क्रियान्वयन में कठिनाईयॉ

योजना क्रियान्वयन में कठिनाई	आवेदन पत्र प्राप्त करने में कठिनाई	आवेदन पत्र भरने में कठिनाई	आवेदन पत्र को बैंक में जमा करना	बैंक द्वारा प्रस्तावों को तबज्जों नहीं देना	ऋण लेने की प्रक्रिया में जटिलता	कोई परेशानी न होना	अन्य
होशंगाबाद	16	7	10	10	39	21	18
भोपाल	7	69	21	52	68	17	12
राज्य	11	38	15	31	53	19	15

तालिका क्रमांक–3.1.18 योजना क्रियान्वयन से संतुष्टि

संतुष्टि	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	41	59
भोपाल	16	84
राज्य	29	71

तालिका क्रमांक–3.1.19 योजना से असंतुष्टि के कारण

असंतुष्टि के कारण	अधिसूचित फसले	बीमित राशि	किश्तों की दर	दावों के निराकरण प्रक्रिया	वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जा रही सुविधायें	दस्तावेजी करण	क्षेत्र दृष्टि कोण	क्षतिपूर्ति स्तर	नुकसान के आंकलन की ईकाई	अन्य
होशंगाबाद	2	10	0	33	1	4	26	37	49	15
भोपाल	61	32	17	82	36	45	20	39	84	12
राज्य	32	21	9	58	19	25	23	38	67	14

तालिका क्रमांक–3.1.20 योजना क्रियान्वयन में वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं से संतुष्टि

संतुष्टि	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	88	12
भोपाल	43	57
राज्य	65	35

तालिका क्रमांक–3.1.21 योजना सुधार हेतु सुझाव

योजना में सुधार हेतु सुझाव	अधिक फसलों को अधिसूचित करना	व्यक्तिगत मूल्यांकन	किश्तों को कम करना	दावों के त्वरित निपटान	योजना स्वैच्छिक बनाना	ग्रामीणों अथवा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सी.सी.ई. का आयोजन	क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 80–90 प्रतिशत तक उठाना	अन्य
होशंगाबाद	17	53	33	76	39	1	53	18
भोपाल	98	97	43	58	85	88	92	24
राज्य	58	75	38	67	62	45	73	21

तालिका क्रमांक–3.1.22 शासकीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार का माध्यम

माध्यम	किसान सभाओ	ग्राम मेले	रेडियो / टेलिविजन	समाचार पत्र	चलचित्र (फिल्म)	रोड शो	अन्य
होशंगाबाद	38	18	55	46	3	8	18
भोपाल	67	44	69	58	18	11	16
राज्य	53	31	62	52	11	10	17

भाग–दो: गैर बीमित कृषक

तालिका क्रमांक–3.2.1 लिंगानुपात

लिंग	पुरूष	महिला
होशंगाबाद	90	10
भोपाल	98	2
राज्य	94	6

तालिका क्रमांक–3.2.2 जातीय वर्गीकरण

जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य
होशंगाबाद	23	13	54	10
भोपाल	16	2	67	15
राज्य	20	8	60	12

तालिका क्रमांक–3.2.3 आर्थिक वर्गीकरण

सम्पन्नता श्रेणी	बीपीएल	एपीएल
होशंगाबाद	45	55
भोपाल	28	72
राज्य	36	64

तालिका क्रमांक–3.2.4 साक्षरता स्तर

साक्षरता स्तर	शिक्षित	अशिक्षित
होशंगाबाद	61	39
भोपाल	87	13
राज्य	74	26

तालिका क्रमांक–3.2.5 आय के साधन

आय साधन	नौकरी	खेती	स्वरोजगार	अन्य कोई
होशंगाबाद	1	100	3	51
भोपाल	4	99	7	10
राज्य	3	100	5	31

तालिका क्रमांक–3.2.6 कृषक श्रेणी

कृषक श्रेणी	सीमान्त कृषक	लघु कृषक	सामान्य कृषक	बड़े कृषक
होशंगाबाद	44	35	14	7
भोपाल	35	32	13	20
राज्य	39	34	14	13

तालिका क्रमांक–3.2.7 परिवार की औसत वार्षिक आय (रू.)

औसत वार्षिक आय	25000 से कम	25001 से 50000	50001 से 100000	100000 से ज्यादा
होशंगाबाद	13	41	29	17
भोपाल	12	21	29	38
राज्य	13	31	29	27

तालिका क्रमांक–3.2.8 विगत तीन वर्षो में फसल नुकसान की स्थिति

फसल नुकसान स्थिति	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	72	28
भोपाल	95	5
राज्य	83	17

तालिका क्रमांक–3.2.9 राहत सहायता हेतु ऐजेंसी

एजेंसी	दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार	बैंक ऋण	साहूकार से उधार	अन्य
होशंगाबाद	17	39	34	4
भोपाल	43	28	32	8
राज्य	30	34	33	6

तालिका क्रमांक–3.2.10 योजना जानकारी की स्थिति

स्थिति	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	22	78
भोपाल	27	73
राज्य	25	75

तालिका क्रमांक–3.2.11 योजना जानकारी का स्रोत

स्रोत	कृषि विभाग/ ग्राम सेवक	ग्राम सभा/ पंचायत	स्वयंसेवी संगठन	सचिव/ पटवारी/ सरपंच	वित्तीय संस्था	ग्रामीण साथी	अन्य
होशंगाबाद	3	3	6	1	2	4	12
भोपाल	20	16	0	14	11	4	2
राज्य	12	10	3	8	7	4	7

तालिका क्रमांक–3.2.12 कृषि बीमा नहीं लेने के कारण

कारण	बीमा की जरूरत नहीं	प्रीमियम भुगतान क्षमता का अभाव	बीमित फसलों से असंतुष्टि	क्षेत्र दृष्टिकोण से असंतुष्टि	बैंक से दूरी	कठिन दस्तावेजी करण	बैंक के असहयोग	योजना में अविश्वास	दावा भुगतान में विलम्ब	क्षतिपूर्ति स्तर से असंतुष्टि	अन्य
होशंगाबाद	3	1	0	1	0	21	0	3	1	1	4
भोपाल	4	6	9	20	8	15	4	3	25	19	4
राज्य	4	4	5	11	4	18	2	3	13	10	4

तालिका क्रमांक–3.2.13 योजना सुधार हेतु सुझाव

सुझाव	अधिक फसल अधिसूचित करना	व्यक्तिगत मूल्यांकन	किश्त कम करना	दावों के त्वरित निपटान	योजना स्वैच्छिक बनाना	बीमा सेवा ग्राम स्तर पर	ग्रामीणों की उपस्थिति में सीसीई का आयोजन	क्षतिपूर्ति स्तर को उठाना	अन्य
होशंगाबाद	6	22	34	51	27	2	0	32	20
भोपाल	17	27	11	23	26	9	16	26	13
राज्य	12	25	23	37	27	6	8	29	17

तालिका क्रमांक–3.2.14 फसल बीमा स्थिति

स्थिति	हाँ	नहीं
होशंगाबाद	12	88
भोपाल	25	75
राज्य	19	82

तालिका क्रमांक–3.2.15 योजनाओं की जानकारी हेतु उचित माध्यम

माध्यम	किसान सभाओं	ग्राम मेले	रेडियो/ टेलिविजन	समाचार पत्र	चलचित्र (फिल्म)	रोड शो	अन्य
होशंगाबाद	33	28	46	19	5	9	16
भोपाल	71	48	71	59	24	9	15
राज्य	52	38	59	39	15	9	16

भाग–तीनः राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत बीमा प्रदाता वित्तीय संस्थाएं

तालिका क्रमांक–3.3.1 बीमा योजना से वित्तीय संस्थाओं का जुडाव

बैंक प्रकार	जिला सहकारी कंन्द्रीय	क्षेत्रीय ग्रामीण	राष्ट्रीयकृत	अन्य
होशंगाबाद	25	35	35	5
भोपाल	15	15	70	0
राज्य	20	25	52	3

तालिका क्रमांक 3.3.2 योजनांतर्गत बीमाधारी (संख्या में)

कुल बीमा धारी	2008	2009	2010
होशंगाबाद	24786	28520	45752
भोपाल	6839	10833	13712

तालिका क्रमांक 3.3.3 कृषि बीमा प्रदाय में कठिनाई

कठिनाई	बीमा जानकारी न होना	बीमा राशि प्रांप्त न होना	व्यक्तिगत मूल्यांकन का न होना	बीमा राशि भुगतान में विलम्ब	प्रीमियम राशि ज्यादा होना	कोई कठिनाई न होना
होशंगाबाद	5	10	15	5	10	40
भोपाल	0	10	0	0	0	50
राज्य	3	10	8	3	5	45

तालिका क्रमांक 3.3.4 योजना के प्रचार–प्रसार के उपाय

उपाय	जनसंचार माध्यम	कैंम्प आयोजन	ग्राम/किसान सभाओं के माध्यम से	बीमा कंपनी द्वारा प्रचार–प्रसार
होशंगाबाद	70	30	55	10
भोपाल	60	40	45	15
राज्य	65	35	50	13

तालिका क्रमांक 3.3.5 योजना सुधार हेतु सुझाव

सुझाव	अधिक फसलों को अधिसूचित करना	योजना स्वैच्छिक बनाना	हितग्राहियों/बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को सी.सी.ई. में शामिल करना	क्षतिपूर्ति सतर को 60% से 80–90% तक उठाना	अन्य
होशंगाबाद	10	65	0	30	80
भोपाल	80	95	60	90	35
राज्य	45	80	30	60	58